39

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

['अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषय पर समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

उनतालीसवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फ़रवरी, 2023/, माघ,1944 (शक)

उनतालीसवाँ प्रतिवेदन

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

['अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषय पर समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

9-2-2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
9-2-2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फ़रवरी, 2023/, माघ,1944 (शक)

विषयसूची-		
		पृष्ठ सं.
	समिति का गठन	**एक**
	प्राक्कथन	**दो**
अध्याय एक	प्रतिवेदन..	
अध्याय दो	सिफारिशेंकार कर लिया सरकार ने स्वीणियां जिन्हेंटिप्प/ ....है	
अध्याय तीन	सिफारिशेंरों को देखते हुए णियां जिन पर सरकार के उत्तटिप्प/ समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती ....है	
अध्याय चार	सिफारिशेंणियांटिप्प/, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है..	
अध्याय पांच	सिफारिशेंणियां जिनके संबंध में उत्तटिप्प/र अंतरिम प्रकृति के हैं..	
	अनुबंध	
एक.	समिति की 07फरवरी, 2023 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	
दो.	समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट (सत्रहवीं लोक सभा) सिफारिशेंषण।णियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेटिप्प/	

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
3. श्री कार्ती पी. चिदंबरम
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री जयदेव गल्ला
7. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
8. डॉ. सुकान्त मजूमदार
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर
13. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
14. श्री संजय सेठ
15. श्री गणेश सिंह
16. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
17. श्री शत्रुघ्न सिन्हा
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
20. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद@
21. श्री एस. जगतरक्षकन

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
24. श्री जॉन ब्रिटिश
25. श्री सैयद नासिर हुसैन
26. श्री इलयराजा
27. श्री जग्गेश
28. श्री प्रफुल्ल पटेल
29. श्री कार्तिकेय शर्मा
30. श्री जवाहर सरकार
31. श्री लहर सिंह सिरोया

सचिवालय

1.	श्री सतपाल गुलाटी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती ए. ज्योतिर्मयी	-	निदेशक
3.	श्री निशांत मेहरा	-	उप सचिव

समिति का समाचार भाग दो -, दिनांक 4 अक्टूबर,2022 का पैरा संख्या 5288के तहत सितंबर 13, 2022 को गठन।

<u>प्राक्कथन</u>

मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषय पर समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी उनतालीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. 32वां प्रतिवेदन 21 मार्च, 2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया था। दूरसंचार विभाग ने 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई टिप्प्ण 9 जून, 2022 को प्रस्तुत किया थ।

3. 07 फरवरी, 2023 को हुई समिति की बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और स्वीकृत किया गया।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों को प्रतिवेदन के अध्याय-1 में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

5. समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो में दिया गया है।

प्रतापराव जाधव
सभापति
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति।

नई दिल्ली:
<u>8 फरवरी, 2023</u>
19 माघ, 1944 (शक)

अध्याय-एक

प्रतिवेदन

संचार और सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन संचार मंत्रालय(दूरसंचार विभाग) के 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' से संबंधित समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. बत्तीसवें प्रतिवेदन को 21 मार्च 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें 14 टिप्पणियां/सिफारिशें थीं।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई नोट दूरसंचार विभाग से प्राप्त हो गए हैं और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है:-

(i) सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

सिफा. क्रसं.: 1,2,4,6,7,9,11,13 और 14

कुल - 9

अध्याय -II

(ii) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सि .क्र .सं.: शून्य

कुल-शून्य

अध्याय -III

(iii) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता हैः

सि. क्र. सं: 3,8, 10 और 12

कुल - 04

अध्याय -IV

(iv) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं :
सि. क्र. सं.:- 5

कुल - 01

अध्याय -V

4. **समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में अंतिम की-गई-कार्रवाई उत्तर, जिनके संबंध में सरकार द्वारा अंतरिम उत्तर दिए गए हैं, उन्हें यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।**

5. अब समिति अपनी कुछ पूर्ववर्ती टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा करेगी ।

भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति

(सिफारिश क्रम संख्या 3)

6. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी :

समिति नोट करती है कि भारतनेट विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है और देश में सभी ग्राम पंचायतों)जीपी) (लगभग 2.6लाख (को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है। 1लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के कार्यान्वयन के साथ चरण-एक को दिसंबर, 2017 में पूरा किया गया था। चरण-दो कार्यान्वयाधीन है। विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना से समिति नोट करती है कि दिनांक 31जनवरी, 2022को 30885.31करोड़ रुपए की राशि उपयोग की गई है,5 ,61, 357कि.मी .तक ओएफसी बिछाई गई है,1 ,70, 031ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है,1 ,04, 259ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉट-स्पॉट प्रदान किए गए हैं,1 ,89, 050एफटीटीएच कनेक्शन दिए गए हैं, 34, 514कि.मी .डार्क फाइबर लीज पर लिए गए हैं आदि। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि डाटा कंजपशन का 5030टीबी भी दर्ज किया गया है और आशा हे कि आगामी दिनों में इसमें वृद्धि होगी। राजस्व विभाजन के संबंध में बीएसपी के साथ अब तक 54राजस्व विभाजन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और आशा है कि एफटीटीएच कनेक्शन के प्रावधान में निकट भविष्य में बढ़ोतरी होगी। समिति नोट करती है कि सेवा के लिए तैयार 65772ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉट-स्पाट उपलब्ध कराए जाने हैं। समिति यह भी नोट करती है कि चरण-एक के अंतर्गत लगभग 1.10लाख ग्राम पंचायतों, वाई-फाई सेवाओं को उपलब्ध कराए जाने का कार्य सीएससीई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है और लगभग 10, 000ग्राम पंचायतों का कार्य राजस्थान सरकार को सौंपा गया है। सीएससी-एसपीबी को भी चरण-एक की 771115ग्राम-पंचायतों में 5सरकारी संस्थाओं के एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने के लिए वीजीएफ प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, चरण-दो में बिहार के 2692ग्राम पंचायतों और 36744गांवों में एक वाई-फाई और 5एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने के लिए सीएससी को भी कार्य सौंपा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 94800सरकारी संस्थानों अर्थात् विद्यालय, आंगनबाड़ी, राशन की दुकानों, स्वास्थ्य ओर आरोग्य केंद्रों, डाकघरों आदि को सीएससी-एसपीवी द्वारा पहले ही कनेक्ट कर दिया गया है। चरण-दो के अंतर्गत राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल में भारतनेट का उपयोग राज्यों को सौंपा गया है। भारतनेट 8राज्यों/संघ राज्यों की 16424ग्राम पंचायतों को उनके स्थान का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

उपर्युक्त टिप्पणी से समिति नोट करती है कि सीएससी-एसपीवी को ग्राम पंचायतों में वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट देना और जीपी में सरकारी संस्थाओं को एफटीटीएच कनेक्शन का भारी कार्य दिया गया है। समिति का मत है कि सीएससी-एसपीवी के कार्यकरण की उचित निगरानी किए जाने की आवश्यकता है ताकि वह उन सभी जीपी में वाई-फाई सेवाओं एवं एफटीटीएच कनेक्शन देने में सक्षम हो सके जो उसे दी गई है। समिति ने पहले ही यूएसओएफ के अंतर्गत निधियों के प्रभावी उपयोग पर बल दिया है जिसमें भारत नेट परियोजना प्रमुख परियोजनाओं में से है जिसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि निर्धारित है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा योजनाओं की निधियों के उपयोग को बढ़ाने और और फेस-2 के अंतर्गत बनाए गए नेटवर्क के इष्टतम उपयोग के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग/बीबीएनएल सेवा के लिए तैयार सभी जी.पी में वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करने के लिए ईमानदार प्रयत्न करे। इस परियोजना के अंतर्गत हुई प्रगति की विस्तृत स्थिति के बारे में समिति को बताया जाए।

7. दूरसंचार विभाग ने की गई कार्रवाई संबंधी नोट में निमन्वत बताया:

भारतनेट चरण-II के ईष्टतम उपयोग के संबंध में निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :

- चरण-II के तहत भारतनेट के उपयोग का कार्य एजेंसियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सौंपा गया है:
-

क्र. सं	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी
1.	उत्तर प्रदेश	बीएसएनएल
2.	मध्य प्रदेश	बीएसएनएल
3.	सिक्किम	बीएसएनएल
4.	पंजाब	बीएसएनएल
5.	बिहार	बीएसएनएल
6.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएफएल
7.	तेलंगाना	टी-फाइबर
8.	ओडिशा	ऑप्टीसीएल
9.	झारखंड	जेसीएनएल
10.	गुजरात	जीएफजीएनएल

11.	महाराष्ट्र	महा-आईटी
12.	छत्तीसगढ	चिप्स
13.	तमिलनाडु	टैनफिनेट

उपरोक्त के अलावा 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 5520 ग्राम पंचायतों में उपयोग का कार्य बीबीएनएल/बीएसएनएल द्वारा किया जा रहा है।

चरण-II के तहत भारतनेट नेटवर्क के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के लिए बीबीएनएल/यूएसओएफ द्वारा उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

भारतनेट के उपयोग की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

- स्थापित वाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या (ग्राम पंचायतें): 1, 04,302
- प्रचालित किए गए एफटीटीएच कनेक्शनों की संख्या: 2, 27,781
- पट्टे पर (लीज्ड) डार्क फाइबर: - 38519.4 किमी
- मासिक डेटा खपत: - 4199 टीबी
- स्वान (एसडबल्यूएएन) द्वारा उपयोग: 16830 जीपी
- इसके अलावा, भारतनेट नेटवर्क के उपयोग को बढ़ाने के लिए एफटीटीएच कनेक्शन के प्रावधान हेतु आईएसपी के साथ राजस्व साझेदारी करारों पर भी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। अबतक 92 राजस्व साझेदारी करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
- ऐसी ग्राम पंचायत साइटों जहां वीसैट स्थापित किया गया है, पर वाई-फाई एक्सेस पॉइंट की स्थापना के लिए बीबीएनएल द्वारा निविदा जारी की जाएगी।

- भारतनेट के संबंध में आईएसपी/टीएसपी और एमएसओ (मोबाइल सेवा ऑपरेटर) के बीच जागरूकता लाने के लिए विपणन कार्यक्रमों/बैठकों के आयोजन की योजना बनाई जा रही है।

- सेवाओं को किफायती बनाने के लिए बीबीएनएल सेवाओं के प्रशुल्क को कम रखा गया है।

समिति की टिप्पणियां

8. **यह नोट करते हुए कि सीएससी-एसपीवी को ग्राम पंचायतों में वाई-फाई एक्सेस पॉइंट और सरकारी संस्थानों को एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने का विशाल कार्य सौंपा गया है, समिति ने सीएससी-एसपीवी के निष्पादन की उचित निगरानी करने की आवश्यकता व्यक्त की थी। समिति ने विभाग/बीबीएनएल को सभी वाई-फाई की सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों को वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदान करने के लिए ईमानदार प्रयास करने की भी सिफारिश की थी। विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई नोट से, समिति ने नोट किया है कि भारतनेट चरण-II के तहत सृजित नेटवर्क के उपयोग के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक भारतनेट के उपयोग का संबंध है, समिति यह जानकर प्रसन्न है कि एफटीटीएच कनेक्शनों की संख्या 1,89,050 से बढ़कर 2,27,781 हो गई है और 92 राजस्व साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तथापि, संस्थापित वाई-फाई हॉटस्पॉट, डार्क फाइबर लीज, स्वान के उपयोग आदि की संख्या में केवल मामूली वृद्धि हुई है।इससे यह आभास होता है कि विभाग/बीबीएनएल भारतनेट के अंतर्गत सृजित नेटवर्क के उपयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 70,000 से अधिक ग्राम पंचायतें जो वाई फाई सेवा के उपयोग के लिए तैयार हैं, उन्हें अभी तक वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदान नहीं किए गए हैं। समिति इन सभी वाई-फाई सेवा के उपयोग के लिए तैयार ग्राम पंचायतों को वाई-फाई हॉटस्पॉट या लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान**

नहीं करने के कारणों को जानना चाहेगी। समिति ने यह भी पाया है कि सीएससी-एसपीवी के कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए समिति की सिफारिश पर विभाग द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मानना है कि भारतनेट परियोजना के चरण-I और II के अंतर्गत वाई-फाई सेवाओं और एफटीटीएच कनेक्शनों के प्रावधान के लिए उसे सौंपे गए भारी कार्य को ध्यान में रखते हुए सीएससी-एसपीवी के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, समिति सीएससी-एसपीवी के कार्य-निष्पादन की उचित निगरानी करने के लिए अपनी पहले की सिफारिश को दोहराती है ताकि यह उन्हें सौंपे गए सभी ग्राम पंचायतों को वाई-फाई सेवाओं और एफटीटीएच कनेक्शनों का प्रावधान करने में सक्षम हो सके। कृपया अंतिम उत्तर प्रस्तुत करते समय इस सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति समिति को बताई जाए ।

<u>दूरसंचार उपकरणों का अनिवार्य परीक्षण</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 8)

9. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी :

समिति यह नोट करती है कि दूरसंचार उपकरणों का अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई) घरेलू मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम), विदेशी ओईएम और विदेशी ओईएम के प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि (एआईआर) पर लागू होता है। कोई भी टेलीग्राफ/दूरसंचार उपकरण, जिसके लिए अनिवार्य प्रमाणन की आवश्यकता होती है, चाहे वह पीएसयू हो या निजी, उसका उपयोग अपने नेटवर्क में दूरसंचार लाइसेंसधारक के रूप में नहीं किया जाना है, जब तक कि इसे प्रमाणित नहीं किया जाता है। तथापि, दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण के लिए सुरक्षा प्रयोगशाला के संबंध में समिति को सूचित किया गया है कि देश में अब तक किसी भी सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला को निर्दिष्ट/प्रत्यायित नहीं किया गया है। कारण पूछे जाने पर विभाग ने केवल यह उत्तर दिया है कि राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केन्द्र देश में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में भावी दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं (टीएसटीएल) के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। कुछ टीएसटीएल को वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान निर्दिष्ट किए जाने की संभावना है। विभाग ने समिति को यह भी सूचित किया है कि दूरसंचार उपकरणों के सुरक्षा परीक्षण के लिए संचार सुरक्षा (कॉमसेक) योजना अभी शुरू की जानी है। समिति को यह भी बताया गया है कि

विभाग के दूरसंचार इंजीनियरिंग विंग में एक सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला की योजना बनाई गई है और सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए निविदा 20.12.2021 को खोली गई थी जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि दूरसंचार उपकरणों की आसान उपलब्धता के साथ बढ़ते दूरसंचार बाजार में सुरक्षा के खतरे बड़े पैमाने पर मंडरा रहे हैं, फिर भी विभाग द्वारा दूरसंचार उपकरणों विशेष रूप से सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन संबंधी अनिवार्य परीक्षण के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। समिति यह नोट कर भी उतनी ही चिंतित है कि पिछले प्रतिवेदनों (रिपोर्टों) में इस मुद्दे पर उनके आग्रह के बावजूद देश में अब तक किसी भी सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला को निर्दिष्ट /प्रत्यायित नहीं किया गया है। दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग किए जाने वाले दूरसंचार उपकरण और नेटवर्क स्पाइवेयर/मैलवेयर के प्रति संवेदनशील हैं और सुरक्षा मुद्दों को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में समिति यह जानना चाहेगी कि देश में दूरसंचार उपकरणों की सुरक्षा जांच/प्रमाणन किस प्रकार किया जा रहा है। विभाग समिति को यह भी सूचित करे कि विभाग के दूरसंचार इंजीनियरिंग विंग में सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव कब से लंबित है और अब तक सुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं। समिति सिफारिश करती है कि सुरक्षा जांच प्रयोगशाला की स्थपना की प्रारंभिक रूपरेखा शीघ्र बनाई जाए। समिति यह भी चाहती है कि देश में सुरक्षा जांच प्रयोगशालाओं सहित अत्याधुनिक जांच सुविधाओं की स्थापना के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जाएं। समिति चाहती है कि तैयार की जा रही संचार सुरक्षा (कॉमसेक) योजना का ब्यौरा समिति को प्रस्तुत किया जाए। जब तक संस्थागत व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं, तब तक समिति विभाग को यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि दूरसंचार उपकरणों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए और सभी सार्वजनिक और निजी दोनों दूरसंचार ऑपरेटर केवल उन उपकरणों को सख्ती से स्थापित करें, जिनका अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन किया गया है।

10. दूरसंचार विभाग ने की गई कार्रवाई संबंधी नोट में निमन्वत बताया:

1. दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय ने दिनांक 05 सितंबर, 2017 को जीएसआर 1131 (ई) भाग XI के माध्यम से भारत के राजपत्र में "भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम" अधिसूचित किया है जो दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन निर्धारित करता है। कोई भी टेलीग्राफ जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 (बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए

लाइसेंस के तहत स्थापित, अनुरक्षित या काम किए गए किसी भी टेलीग्राफ के साथ उपयोग करने या उपयोग किए जाने में सक्षम है, को समय-समय पर टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के संबंध में पूर्व अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन से गुजरना होगा। अनिवार्य परीक्षण में निम्नलिखित आवश्यक अपेक्षाओं के लिए परीक्षण शामिल है:-

i. तकनीकी आवश्यकताएं।
ii. सुरक्षा आवश्यकताएं।
iii. ईएमआई/ईएमसी आवश्यकताएं।
iv. सुरक्षा आवश्यकताएं
v. टीईसी/दूरसंचार विभाग/किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य अपेक्षाएं जैसे मोबाइल हैंडसेटों के लिए एसएआर, पर्यावरणीय अपेक्षाएं आदि।

.2 दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र)टीईसी (सुरक्षा परीक्षण के अलावा अन्य दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण के लिए आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। सुरक्षा परीक्षण भाग को राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केन्द्र)एनसीसीएस(, बेंगलुरु को सौंपा गया है।

3. संचार सुरक्षा (कॉमसेक) स्कीम को अनुमोदित कर दिया गया है और विवरण निम्नानुसार हैं:

i. कार्यक्षेत्र:

क. प्रमाणन का उद्देश्य भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रकार के दूरसंचार उपकरणों को कवर करना है और यह इस योजना के लागू होने के बाद भारतीय दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ा होगा, जिसके लिए आईटीएसएआर उपलब्ध है और लागू है।

ख. एनसीसीएस चरणबद्ध तरीके से विभिन्न उपकरणों के लिए भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन अपेक्षाओं (आईटीएसएआर) के विकास और जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी उपस्कर के लिए आईटीएसएआर जारी करने पर उस उपकरण को प्रवर्तन के लिए इस योजना में शामिल किया जाएगा। उस उपकरण के लिए आईटीएसएआर अलग से अधिसूचित तारीख से लागू होता है। आईटीएसएआर में कोई भी संशोधन करने पर यदि नए खतरे और अपेक्षाएं उत्पन्न होती है तो इस स्थिति में आईटीएसएआर का नया प्रारूप जारी किया

जाएगा और यह आईटीएसएआर के नए प्रारूप में निर्दिष्ट लागू करने की तारीख से लागू होगा। नए संस्करण की तुलना में नए प्रारूप में यह निर्दिष्ट होगा कि आईटीएसएआर के पूर्व प्रारूप के लिए प्रमाणित उपकरण को प्रमाणन हेतु पूर्ण या क्रमिक परीक्षण की आवश्यकता है या नहीं।

ग. जब तक विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती तब तक प्रमाणित उपकरणों का उपयोग मौजूदा दिशानिर्देशों और नियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

घ. यदि उपकरण को अनुसंधान और विकास के लिए या भारत में प्रदर्शन उद्देश्य के लिए या अनिवार्य परीक्षण के लिए एक नमूने के रूप में आयात किया जा रहा है, तो इस स्थिति में उपकरणों की सीमित संख्या के लिए पूर्व सुरक्षा प्रमाणन में छूट दी जा सकती है।

ii. स्कीम

क. दूरसंचार विभाग का उद्देश्य कॉमसेक स्कीम के विकास, संचालन और रखरखाव में निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है:

- देश विशिष्ट मानकों, प्रक्रियाओं और विनिर्देशों को विकसित करना।
- परीक्षण और प्रमाणन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि दूरसंचार नेटवर्क तत्व सुरक्षा आश्वासन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।
- सुरक्षा परीक्षण से संबंधित विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

ख इस स्कीम में भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन अपेक्षाओं (आईटीएसएआर), दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं (टीएसटीएल) के निर्दिष्ट और आईटीएसएआर के लिए दूरसंचार उपस्करों के सुरक्षा मूल्यांकन और प्रमाणन से संबंधित कार्यकलापों का प्रावधान है।

ग. आईटीएसएआर को देश विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और ओईएम, टीएसटीएल, टीएसपी, अकादमिक संस्थानों, उद्योग और

सरकारी निकायों जैसे हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर तैयार किया जाएगा।

घ. आईटीएसएआर के लिए सुरक्षा परीक्षण नामित टीएसटीएल द्वारा किया जाएगा। विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को नामित किया जाएगा। संभावित टीएसटीएल निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के संतोषजनक मूल्यांकन के बाद आईटीएसएआर के अनुसार सुरक्षा परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला की योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। सफल मूल्यांकन पर प्रयोजन प्रमाण-पत्र के साथ टीएसटीएल द्वारा जारी किया जाएगा।

ङ. अपने उपकरण प्रमाणित करने के इच्छुक आवेदक को एमटीसीटीई पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आवेदन के सफल मूल्यांकन के बाद आवेदक लागू आईटीएसएआर के सापेक्ष अपने उपकरणों के सुरक्षा परीक्षण के लिए एक नामित टीएसटीएल चुन सकता है। टीएसटीएल एक वैलिडेटर की देखरेख में अपेक्षित परीक्षण करेगा। परीक्षण के पूरा होने के बाद टीएसटीएल द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इन रिपोर्टों का मूल्यांकन सुरक्षा प्रमाणन के लिए किया जाएगा। सफल मूल्यांकन पर सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

4. भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताओं (आईटीएसएआर) की तैयारी के संबंध में आईटीएसएआर को 4जी कोर नेटवर्क तत्वों (यानी एस-गेटवे, पीसीआरएफ, एचएसएस, एमएमई, ई-नोड-बी, पी-गेटवे), आईपी राउटर, वाईफाई (सीपीई) मॉडेम, मोबाइल डिवाइस, प्लगेबल यूआईसीसी और आईटीएसएआर के लिए क्रिप्टोग्राफिक नियंत्रण) के लिए तैयार किया गया है। एनसीसीएस ने 5जी कोर नेटवर्क एलिमेंट्स/नेटवर्क फंक्शंस के लिए आईटीएसएआर तैयार करने में आईआईटी-एच के साथ साझेदारी की है। एनसीसीएस 11 नेटवर्क फंक्शंस (एनएफ) अर्थात् एएमएफ, यूपीएफ, एसएमएफ, यूडीएम, एयूएसएफ, एनआरएफ, एनईएफ, एनडब्ल्यूडीएएफ, एन3आईडब्ल्यूएफ, एसईपीपी और एससीपी के लिए 5जी आईटीएसएआर तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसकी आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

5. एनसीसीएस ने दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन में सहयोग करने के लिए आईआईटी-एम और आईआईटी-कानपुर के साथ बातचीत शुरू की है क्योंकि उन्होंने एनसीसीएस के साथ काम करने में रुचि दिखाई है। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने मोबाइल डिवाइस और हार्डवेयर

सुरक्षा पर अनुसंधान और परीक्षण वातावरण स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसकी जांच की जा रही है।

6. एनसीसीएस ने इस स्कीम के बारे में सूचित करने के लिए संभावित दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं (टीएसटीएल) के साथ ओपन हाउस सत्र आयोजित किया है। सी-डॉट द्वारा एनसीसीएस के सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन पोर्टल के विकास और टीईसी के एमटीसीटीई पोर्टल के साथ इसके एकीकरण का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है। एक बार दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन पारिस्थितिकी तंत्र (जिसमें आईटीएसएआर की उपलब्धता और तदनुरूपी परीक्षण अनुसूचियां और परीक्षण प्रक्रियाएं (टीएसटीपी), दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन पोर्टल, टीएसटीएल के लिए प्रत्यायन/प्रयोजन प्रक्रिया और मान्यता प्राप्त/नामित टीएसटीएल की उपलब्धता शामिल है) तैयार हो जाता है, तो कॉमसेक स्कीम के शुरू होने से एमटीसीटीई के तहत दूरसंचार उपकरणों (5जी सहित) का सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन कार्य चरणबद्ध तरीके से करने की सक्षमता प्राप्त हो जाएगी।

7. सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (एनएसडीटीएस) के तहत 15 जून 2021 को विश्वसनीय दूरसंचार पोर्टल www.trustedtelecom.gov.in शुरू किया इसलिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को अपने नेटवर्क में केवल उन नए उपकरणों को जोड़ने के लिए अनिवार्य किया गया है जिन्हें 'विश्वसनीय स्रोतों' से 'विश्वसनीय उत्पाद' के रूप में नामित किया गया है। इस संबंध में सरकार द्वारा टीएसपी के माध्यम से दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस शर्तों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

8. इसके अलावा नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लाइसेंस संबंधी अधिदेश के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण खंड।

i. खंड 39.5 के तहत, जैसा कि निम्न में है, सेवा प्रदाताओं के पास एक सुदृढ़ संगठनात्मक सुरक्षा नीति होनी चाहिए।

"लाइसेंसधारक पूरी तरह से अपने नेटवर्क की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। लाइसेंसधारक के पास सुरक्षा और नेटवर्क फोरेंसिक, नेटवर्क हार्डनिंग, नेटवर्क पेनिट्रेशन परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन सहित उनके नेटवर्क के प्रबंधन हेतु एक संगठनात्मक नीति होगी। समस्याओं का समाधान करने और ऐसी समस्याओं के बार-बार घटित होने से उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई को नीति का हिस्सा होना चाहिए।

ii. लाइसेंसधारक की सुरक्षा नीति में एकरूपता बनाए रखने के लिए दूरसंचार विभाग ने न्यूनतम अपेक्षाओं पर दूरसंचार विभाग के लाइसेंसधारियों द्वारा सुरक्षा नीति (एमआरएसपी) के लिए दिनांक 26.9.2018 के पत्र के माध्यम से एक परामर्श जारी किया है।

iii. खंड 39.6 के तहत जैसा कि निम्न में है सेवा प्रदाताओं को एक वित्तीय वर्ष में एक बार आईएसओ 15408 और आईएसओ 27001 मानकों के अनुसार प्रमाणित लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) द्वारा अपने नेटवर्क की लेखापरीक्षा (ऑडिट) करना अनिवार्य है।

"संगठनात्मक सुरक्षा नीति को आगे बढ़ाने में लाइसेंसधारक अपने नेटवर्क की लेखापरीक्षा (ऑडिट) करेगा या सुरक्षा के दृष्टिकोण से नेटवर्क ऑडिट और प्रमाणन एजेंसी से वित्तीय में एक बार नेटवर्क की लेखापरीक्षा कराएगा। पहला ऑडिट लाइसेंस / सेवा प्राधिकरण पर हस्ताक्षर करने के वित्तीय वर्ष के बाद अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है। लाइसेंसधारक इस उद्देश्य के लिए किसी भी एजेंसी की सेवा लेने के लिए स्वतंत्र है, जिसे संबंधित आईएसओ मानकों के अनुसार ऑडिट करने के लिए प्रमाणित किया गया है। वर्तमान में आईएसओ 15408 और आईएसओ 27001 मानक लागू हैं।

iv. खंड 39.9 (v) के तहत जैसा कि निम्न में है, सेवा प्रदाताओं द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की श्रृंखला का रिकॉर्ड रखने से आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम को कम किया जा सकता है। इस संबंध में सेवा प्रदाताओं को जागरूक किया जाता है।

"उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला (हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर) का रिकॉर्ड रखें। यह रिकॉर्ड उत्पादों की खरीद के समय निर्माता / विक्रेता / आपूर्तिकर्ता से लिया जाना चाहिए।

v. सेवा प्रदाताओं को विभिन्न एजेंसियों के परामर्शों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कमजोरियों और खतरों के बारे में भी सूचित किया जाता है।

समिति की टिप्पणियां

11. समिति को की गई कार्रवाई नोट से ज्ञात हुआ है कि देश में दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण के लिए कोई सुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई है। विभाग के दूरसंचार इंजीनियरिंग विंग में सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव कब से लंबित है और अब तक सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना न किए जाने के क्या कारण हैं जैसे प्रश्नों का उत्तर भी विभाग ने समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है । समिति को अब सूचित किया गया है कि संचार सुरक्षा (कॉमसेक) योजना को अनुमोदित कर दिया गया है। इस योजना में इंडियन टेलीकॉम सिक्युरिटी ऐशोरेन्स रिकवायरमेंट (आईटीएसएआर) के विकास, टेलीकॉम सिक्युरिटी टेस्ट लैब (टीएसटीएल) के नामकरण और आईटीएसएआर संबंधी सुरक्षा मूल्यांकन और दूरसंचार उपस्करों के प्रमाणन से संबंधित कार्यकलापों का प्रावधान है। दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो जाने के बाद, कॉमसेक योजना के प्रचालन से दूरसंचार उपस्करों के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई) के तहत चरणबद्ध तरीके से 5जी सहित दूरसंचार उपकरणों का सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन किया जा सकेगा। समिति का मानना है कि एक पूर्ण दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास अभी भी काफी दूर है। इसके लिए आईटीएसएआर और तदनुरूपी परीक्षण अनुसूचियों और परीक्षण प्रक्रियाओं (टीएसटीपी), दूरसंचार सुरक्षा और परीक्षण और प्रमाणन पोर्टल, टीएसटीएल के लिए प्रत्यायन/निर्दिष्ट प्रक्रिया और मान्यता प्राप्त/निर्दिष्ट टीएसटीएल की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। समिति ने नोट किया कि विभाग अभी भी उपर्युक्त प्रक्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया में है। वे देश में दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में इतनी लंबी देरी के कारणों को भी समझने में असमर्थ हैं, जिसके बिना समिति का मानना है कि एमटीसीटीई को सार्थक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। समिति चाहती है कि विभाग सभी आवश्यक उपाय करे ताकि कॉमसेक योजना को पूरी तरह कार्यात्मक बनाया जा सके।

समिति टीईसी में सुरक्षा टेस्ट लैब की स्थापना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहेगी और आगे सिफारिश करती है कि इस सुरक्षा प्रयोगशाला को यथाशीघ्र स्थापित किया जाए ।

<u>बीएसएनएल और एमटीएनएल की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 10)

12. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी :

समिति को सूचित किया गया है कि बीएसएनएल के पास बड़ी संख्या में भूमि परिसंपत्तियों सहित भवन भी हैं। एमटीएनएल के पास करीब 30,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति है। केंद्रीय कैबिनेट नोट में ऋण/ओवरड्राफ्ट/बांड के पुनर्भुगतान के लिए मुख्य योजना के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण की परिकल्पना की गई है।संहिताबद्ध प्रक्रिया के संबंध में, समिति ने नोट किया है कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परिसंपत्ति के लिए अनुमोदन डीआईपीएएम, वित्त मंत्रालय के पास है। 10-100 करोड़ रुपये के मध्य की परिसंपत्तियां बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार विभाग के माध्यम से की जाएंगी और मंत्रियों के समूह द्वारा अनुमोदित की जाएंगी। 10 करोड़ रुपये से कम की परिसंपत्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी बीएसएनएल निदेशक मंडल है। विभाग ने समिति को सूचित किया है कि भूमि/भवन के मुद्रीकरण के लिए डीआईपीएएम ने चरण-I में बीएसएनएल की परिसंपत्तियों (संभावित मूल्य 18,200 करोड़ रुपये) और एमटीएनएल की 6 परिसंपत्तियों (संभावित मूल्य 5158 करोड़ रुपये) के मुद्रीकरण को मंजूरी दी थी, जिसमें से बीएसएनएल की 4 संपत्तियों (670 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य) और एमटीएनएल की 2 संपत्तियों (290 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य) को ई-नीलामी के लिए लिया गया है।समिति को यह भी सूचित किया गया है कि काफी समय पहले किए गए सशर्त कार्यों और राज्य सरकारों अथवा स्थानीय निकायों से अपेक्षित अनुमतियों के कारण अन्य संपत्तियों में चुनौतियां/बाधाएं हैं, जिनका विभाग द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ-साथ अवलोकन किया जा रहा है। एमटीएनएल के संबंध में, समिति ने नोट किया है कि मुंबई में अधिकांश परिसंपत्तियों में आरक्षण/मनोयन के मुद्दे हैं और इससे इन संपत्तियों के मुद्रीकरण की संभावना बाधित हो रही है। एमटीएनएल आरक्षण/ मनोयन को हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ कार्रवाई कर रहा है। समिति को बैठक के दौरान स्पष्ट शब्दों में यह भी सूचित किया गया है कि मुंबई में

महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को लेकर आपत्ति और चिन्हित किए जाने के मुद्दे हैं जिसके परिणामस्वरूप अस्थिर परिस्थितियों के कारण संपत्ति का मूल्यांकन कम हो रहा है और यह नीति में बदलाव किए बिना संभव नहीं होगा।

समिति का मत है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास बहुत ज्यादा संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों का लाभपूर्ण उपयोग तथा संपत्तियों के मुद्रीकरण से सृजित आय को वस्तुत उनके कर्ज, कैपेक्स और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। समिति का मानना है कि संपत्तियों के सफल मुद्रीकरण से सरकार के राजस्व या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उपयोग के बिना दोनों कंपनियों के पुनर्जीवन प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। समिति नोट करती है कि विभाग/बीएसएनएल ने संपत्तियों के सौहार्दपूर्ण समाधान और सफल मुद्रीकरण के लिए संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ आपत्तियों और सुझावों के मुद्दे पर चर्चा की है। तथापि अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। समिति का सुविचारित मत है कि ये संपत्तियां जो अप्रयुक्त पड़ी है, का सफल उपयोग बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के लिए तथा संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों के बेहतर हित में होगा और इसलिए इस मामले को केवल विभाग/बीएसएनएल पर छोड़ने के बजाय नीतिगत हस्तक्षेप के लिए सरकार के उच्चतम स्तर पर उठाया जाए।

13. दूरसंचार विभाग ने की गई कार्रवाई संबंधी नोट में निमन्वत बताया:

"उपर्युक्त सिफारिशों/टिप्पणियों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कदम उठाए गए हैं/कार्रवाई की गई है:

i. बीएसएनएल की 4 संपत्तियों के लिए नीलामी में कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई थी। बीएसएनएल द्वारा नीलामी के नियमों और शर्तों की समीक्षा करने और फिर से बोली लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।

ii. 10 करोड़ रूपए से कम मूल्य की प्रत्येक संपत्ति के लिए बीएसएनएल के निदेशक मंडल ने 9 संपत्तियों के लिए सांकेतिक मूल्य को अनुमोदन प्रदान किया है। सभी संपत्तियों के लिए लेनदेन से संबंधित सलाहकारों को भी नियुक्त किया गया है। इन 9 संपत्तियों का कुल सांकेतिक मूल्य 49.73 करोड़ रूपए है।

iii. 10-100 करोड़ रूपए के मध्य के मूल्य की संपत्तियों के लिए बीएसएनएल के निदेशक मंडल ने 14 संपत्तियों के लिए सांकेतिक मूल्य को अनुमोदन प्रदान किया है और यह मामला मंत्री समूह के सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रक्रिया में है। इन 14 संपत्तियों का कुल सांकेतिक मूल्य 599.78 करोड़ रूपए है।

iv. इस कार्यालय के दिनांक 31.03.2022 के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 8-1/202- परिसंपत्ति प्रबंधन (वॉल्यूम.II) के माध्यम से सचिव, डीआईपीएएम से ई-नीलामी के संबंध में निर्णय लेने के लिए आईएमजी की बैठक आयोजित करने और मुद्रीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया था। डीआईपीएएम ने सूचित किया है कि मुद्रीकरण की जिम्मेदारी दिनांक 13.04.2022 के उनके अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 8/8/2022-डीआईपीएएम-II (एएमसी) के माध्यम से डीपीई को अंतरित कर दी गई है। डीआईपीएएम से प्राप्त अर्ध-शासकीय पत्र के उत्तर में डीपीई से इस कार्यालय के दिनांक 25.04.2022 के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 8-1/20202- परिसंपत्ति प्रबंधन (वॉल्यूम.II) और दिनांक 02.06.2022 के यू.ओ.सं. 8-5/2019- परिसंपत्ति प्रबंधन के माध्यम से आईएमजी की बैठक शीघ्रतिशीघ्र आयोजित करनेका अनुरोध किया गया था।

समिति की टिप्पणियां

14. **समिति यह नोट कर चिंतित है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के संबंध में अब तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि सरकार द्वारा ऋण/ओवरड्राफ्ट/बांड के पुनर्भुगतान के लिए मुख्य योजना के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण की परिकल्पना की गई है। समिति को की गई कार्रवाई नोट से ज्ञात हुआ है कि विभाग बीएसएनएल से संबंधित विभिन्न श्रेणियों की संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए प्रयास कर रहा है परन्तु अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। तथापि, विभाग ने राज्य सरकारों के पास भूमि के आरक्षण/निर्दिष्ट करने के मुद्दे का समाधान करने के लिए वर्तमान स्थिति पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है जो बीएसएनएल/एमटीएनएल की मुद्रीकरण संभावनाओं को**

बाधित कर रहा है।

समिति को यह बताया गया था कि मुंबई में महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों में आरक्षण और निर्दिष्ट करने संबंधी मुद्दे हैं जिसके परिणामस्वरूप अस्थिर परिस्थितियों के कारण संपत्ति का मूल्यांकन गिर गया है और यह नीति में बदलाव किए बिना संभव नहीं होगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है कि भूमि के आरक्षण/निर्दिष्ट करने के मामले को नीतिगत हस्तक्षेप के लिए सरकार के उच्चतम स्तर पर उठाया जाना चाहिए ताकि इस मुद्दे का यथाशीघ्र समाधान किया जा सके और बीएसएनएल/एमटीएनएल की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में तेजी लाई जा सके। विभाग इस संबंध में हुई प्रगति से समिति को अवगत कराए ।

बीएसएनएल के लिए पूंजी निवेश

(सिफारिश क्रम संख्या 12)

15. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश की थी :

समिति नोट करती है कि विभिन्न पुनर्जीवन उपाय के क्रियान्वयन के लिए 2022-23 के दौरान बजट अनुमान 2022-23 में 44720 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। समिति को सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4जी स्पेक्ट्रम की लागत के लिए 23270 करोड रुपए (जीएसटी सहित) आवंटित की गई है। विभाग ने समिति को बताया है कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल के तर्ज पर बीएसएनएल ने 1 जनवरी 2021 को अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति पांच बोलीदाताओं नामत: मेसर्स एचएफसीएल, मेसर्स टेक महिंद्रा, मेसर्स टीसीएस और मेसर्स आईटीआई को जारी किया गया है। केवल मेसर्स टीसीएस और मेसर्स आईटीआई ने अभिरुचि की अभिव्यक्ति के भाग के रूप में प्रूफ ऑफ कंसेप्ट (पीओसी) के तहत परीक्षण हेतु अपने उपकरण विकसित किए हैं। समिति को बताया गया है कि दिए गए उपकरण का परीक्षण किया जा रहा है और मार्च तक पीयूसी पूरा होगा। इसके बाद इसका व्यवसायिक आरंभ लगभग 6 माह से 1 वर्ष में होने का अनुमान है। समिति को यदि बताया गया है कि पुनर्जीवन पैकेज अनुमोदित करते समय सरकार ने 5जी संबंधित निवेश के लिए प्रोत्साहन भी दिया है और 4जी उपकरण, जो अंतिम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के अंतिम चरण में है, 5जी सक्षम भी है।

समिति का विचार है कि बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवाओं के आरंभ से बीएसएनएल को न केवल देश में दूरसंचार क्षेत्र में अपना पैर जमाने में मजबूती और साथ ही इसके राजस्व में भी वृद्धि में बहुत सहायक होगा। यह देखना दुख की बात है कि बीएसएनएल पहले ही 4जी सेवा शुरू करने में असफल रही है और एक अच्छी बेतार ब्रॉडबैंड सेवाएं देने और इसके राजस्व वृद्धि की क्षमता प्रभावित हुई है। समिति को भी टिप्पणी करना पड़ रहा है कि बीएसएनएल को निजी या विदेशी कंपनियों से उपकरण लेने की अनुमति नहीं दी गई जबकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसा करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार, निजी प्रचालकों की तुलना में बीएसएनएल को समान अवसर नहीं दिया गया। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को नियत समय सीमा अर्थात मार्च, 2022 तक पूरा किया जाना चाहिए और समिति को सूचित किए गए अनुसार बीएसएनएल द्वारा लगभग 6 माह से 1 वर्ष में 4जी सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए विभाग को सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसमें किसी भी तरह की देरी से कंपनी के अस्तित्व और उद्योग में फलने-फूलने के संघर्ष की संभावनाओं को और नुकसान होगा। समिति पूजा भी सिफारिश करती है कि बीएसएनएल को सभी बैंडों में 5जी स्पेक्ट्रम भी आवंटित की जानी चाहिए ताकि बीएसएनल निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ 5जी सेवाएं शुरू कर सके। यह आवश्यक है कि बीएसएनएल को 5जी सेवाएं शुरू करने और निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तरह उपकरण खरीदने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। समिति चाहती है कि इस संबंध में इमानदारी पूर्वक प्रयास किए जाए और आशा करती है कि साक्ष्य के दौरान समिति को दिए गए आश्वासन अक्षरश: पूर्ण करेंगी।

16. दूरसंचार विभाग ने अपने की गई कार्यवाही नोट निमन्वत बताया :

(क) अक्तूबर, 2019 के पुररूद्धार पैकेज में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आबंटन का अनुमोदन किया था। इस मद को सरकार के लिए नकद तटस्थ रखने के लिए मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम आबंटन हेतु 24,084 करोड़ (जीएसटी सहित) के पूंजी निवेश को भी अनुमोदित किया था। चूंकि बीएसएनएल इस पूंजी निवेश का उपयोग केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करने के लिए करेगा, अत: इसे नकद तटस्थ व्यवस्था के रूप में डिजाइन किया गया था। तथापि, आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक को विकसित करने में विलंब होने के कारण स्पेक्ट्रम आबंटन को वित्त वर्ष 2023 तक आस्थगित कर दिया गया था।

(ख) चूंकि केंद्र सरकार बीएसएनएल को समर्थन दे रही है अत: यह आवश्यक था कि बीएसएनएल प्राप्त की गई निधि का प्रयोग 4जी सेवाओं हेतु आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी स्टैक के विकास के लिए करे। इस विजन के अनुरूप बीएसएनएल को 4जी हेतु इंडियन कोर स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार बीएसएनएल ने आगामी 4जी निविदा में भाग लेने की इच्छुक भारतीय कंपनियों से पंजीकरण-सह अवधारणा साक्ष्य (पीओसी) के लिए 1 जनवरी, 2021 को रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की। इस पर 6 बोलीदाताओं ने प्रतिक्रिया दी।

बीएसएनएल ने 1 जुलाई, 2021 को मेसर्स टीसीएस (टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज), मेसर्स टेक महिन्द्रा लि., मेसर्स एल एंड टी (लार्सन एंड टर्बो), मेसर्स एचएफसीएल (हिमाचल फ्यूचरस्टिक कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड) तथा मेसर्स आई टी आई (इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज) को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया है। फिलहाल बीएसएनएल टीसीएस (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेली मैटिक्स; सी-डॉट से कोर के साथ) और आईटीआई (बैकएंड पर टीसीएस के साथ) अवधारणा साक्ष्य (पीओसी) को कार्यान्वित कर रहा है। पीओसी को मेसर्स टीसीएस द्वारा कुछ लंबित बिंदुओं के साथ अनंतिम रूप से पूरा किया गया है जिसके 30 जून, 2022 तक पूरा होने की संभावना है। अन्य तीन वेंडरों के पीओसी को बंद कर दिया गया है क्योंकि वे प्रौद्योगिकी विकसीत नहीं कर सके।

चूंकि आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक को विकसित करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता थी अत: बीएसएनएल प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2023 तक स्पेक्ट्रम आबंटन को आस्थगित करने का निर्णय लिया है। अब पीओसी के अनंतिम रूप से पूरा होने के बाद बीएसएनएल ने 6000 साइटों की स्थापना के लिए उपकरणों की आपूर्ति हेतु 31 मार्च, 2022 को मेसर्स टीसीएस पर 4जी नेटवर्क के लिए अपना प्रथम क्रय आदेश दिया है जिसके साथ बीएसएनएल को वर्ष 2022 में 4जी सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है। एकल वेंडर परिदृश्य और पीओसी के लंबित मामलों के पूरा करने के मद्देनजर मेसर्स टीसीएस के साथ वाणिज्यिक बातचीत होने बाद 100,000 ईएनओडीईबी के लिए आदेश दिया जाएगा।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त प्रगति से विदित है बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम का आबंटन वित्त वर्ष 2022-23 में हो सकता है।

समिति की टिप्पणियां

17. **समिति ने सिफारिश की थी कि बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवा को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए विभाग द्वारा सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि बीएसएनएल को भी सभी बैंडों में 5जी स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाना चाहिए ताकि बीएसएनएल निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ 5जी सेवाएं शुरू कर सके। विभाग ने अब समिति को सूचित किया है कि बीएसएनएल द्वारा 4जी को लागू करने के संबंध में, कुछ लंबित बिंदुओं को छोड़कर जिसके 30 जून, 2022 तक पूरा होने की संभावना है,मेसर्स टीसीएस के द्वारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) को अनंतिम रूप से पूरा कर लिया गया है । समिति को आशा है कि पीओसी के सभी लंबित बिंदुओं को अब तक पूरा कर लिया गया होगा। समिति आगे नोट करती है कि पीओसी के अनंतिम रूप से पूरा होने के बाद, बीएसएनएल ने 6000 साइटों के विकास के लिए उपकरणों की आपूर्ति के लिए 31 मार्च, 2022 को मैसर्स टीसीएस को 4जी नेटवर्क के लिए अपना पहला खरीद आदेश दिया है, जिसके द्वारा बीएसएनएल को 2022 में 4जी सेवाएं शुरू करने की आशा है। सिंगल वेंडर सर्विसेज के मद्देनजर मैसर्स टीसीएस के साथ वाणिज्यिक वार्ताओं के पूरा होने और पीओसी के लंबित बिंदुओं के पूरा होने पर 1,00,000 ईएनओडीबी के लिए पूर्ण आदेश दिया जाएगा। समिति चाहती है कि बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवा को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए विभाग द्वारा सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। तथापि, विभाग ने बीएसएनएल को सभी बैंडों में 5जी स्पैक्ट्रम के आबंटन के लिए समिति की सिफारिश पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 4जी सेवा शुरू करने के संबंध में निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तुलना में**

बीएसएनएल को समान अवसर से वंचित कर दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बीएसएनएल ने अभी भी 4जी सेवाएं शुरू नहीं की हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीएसएनएल निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समान स्तर पर प्रचालन कर सके, समिति का विचार है कि सभी बैंडों में 5जी स्पेक्ट्रम को निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ एक ही समय में बीएसएनएल को आवंटित किया जाना चाहिए, समिति अपनी पहले की सिफारिश को दोहराती है कि बीएसएनएल को सभी बैंडों में 5जी स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाना चाहिए और उपकरणों की खरीद के संबंध में निजी टीएसपी की तुलना में समान स्तर प्रदान किया जाए । समिति को आशा है कि विभाग समिति की उपर्युक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेगा।

अध्याय ॥

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

दूरसंचार विभाग बजट

(सिफारिश क्रम संख्या 1)

समिति नोट करती है कि दूरसंचार विभाग ने दिनांक 9 फरवरी, 2022 को 95547.80करोड़ रुपए की कुल राशि की अनुदानों की मांगे (23-2022)रखी है जिनमें 32436.38करोड़ रुपए राजस्व खंड और 63111.42करोड़ रुपए पूंजी खंड के अंतर्गत हैं। यह राशि 22-2021के ब.अ . स्तर पर किए गए आबंटन से 22610.8करोड़ रुपए अधिक है। समिति नोट करती है कि पिछले वर्ष के क्रम में राजस्व खंड के अंतर्गत 9367.06करोड़ रुपए की कमी आई है जबकि पूंजी खंड में 31977.86करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पूंजी खंड में वृद्धि मुख्यत :'बीएसएनएल में पूंजी लगाया जाना' शीर्ष के अंतर्गत रही है। जहां तक उपयोग का संबंध है तो समिति नोट करती है कि राजस्व खंड के अंतर्गत ब.अ .स्तर पर ब.अ 22-2021 .स्तर पर 41803.44करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसे सं.अ .स्तर पर घटाकर 38380.04करोड़ रुपए की राशि आबंटित किया गया था और 28.02.2022तक वास्तविक व्यय केवल 31547.03करोड़ रुपए रहा है। राजस्व खंड के अंतर्गत सं.अ .स्तर पर निधियों के आबंटन में कमी मुख्यत : यूएसओएफ और 4जी स्पेक्ट्रम में जीएसटी के अनुदान के अंतर्गत रही है। वास्तव में,4 जी स्पेक्ट्रम में जीएसटी के अनुदान के अंतर्गत निधियों को ब.अ .स्तर पर 3674 करोड़ रुपए से लेकर सं.अ .स्तर पर शून्य तक घटा दिया गया है।

पूंजी खंड के अंतर्गत 22-2021ब.अ .स्तर पर 31133.56करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसे सं.अ .स्तर पर घटाकर 10670.17करोड़ रुपए कर दिया गया था और 28 फरवरी, 2022 को वास्तविक उपयोग केवल 6312.63करोड़ रहा है जोकि सं.अ .स्तर पर किए गए आबंटन का मात्र 59.16प्रतिशत है। ब.अ .स्तर पर 20410करोड़ रुपए से सं.अ .स्तर पर 'शून्य' तक बीएसएनएल/एमटीएनएल के लिए पूंजी लगाया जाना, आईटी रिवाइवल हेतु इक्विटी

इंफ्यूज़न, वायरलेस सेट और उपस्कर)टीईसी(, दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र)ओटीएससीसी (आदि जैसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के मामले में निधियों का उपयोग और शून्य उपयोग किया जाना नोट किया गया है।

समिति नोट करती है कि सं.अ .के संदर्भ में 22-2021के दौरान राजस्व और पूंजी खंड के अंतर्गत 28फरवरी, 2022 के अनुसार निधियों का उपयोग क्रमश 82.20 :और 59.16 प्रतिशत रहा है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है कि राजस्व खंड के अंतर्गत 8300करोड़ रुपए के सं.अ .आबंटन के स्थान पर केवल 28फरवरी, 2022 तक यूएसओएफ के अंतर्गत 3472.55 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इस बात की बिल्कुल संभावना नहीं है कि सं.अ .स्तर पर आबंटित राशि का वित्तीय वर्ष 22-2021के अंत तक पूरा उपयोग कर किया जाएगा। समिति यह नोट करके भी परेशान है कि रक्षा सेवाओं हेतु ओएफसी नेटवर्क, टीईसी परियोजनाओं जैसी योजनाओं के अंतर्गत पूंजीखंड में निधियों का कम उपयोग हुआ है। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात 22-2021के दौरान पूंजीखंड के अंतर्गत बीएसएनएल/एमटीएनएल में पूंजी लगाया जाना, आईटी रिवाइवल के इक्विटी इंफ्यूजन, दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन जैसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में निधियों का कम उपयोग है जिस पर विभाग द्वारा गंभीरतापूर्वक आत्मनिरीक्षण और इन योजनाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि इन योजनाओं के मामले में क्या गलती हुई है। समिति नोट करती है कि 23-2022से भारतनेट परियोजना को राजस्व से पूंजी खंड में अंतरित कर दिया गया है और ब.अ 23-2022 .स्तर पर 7000करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। डिजिटल आसूचना एकक नामक नई योजना भी आरंभ की गई है जिसके लिए 10करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। पूंजी के अंतर्गत ब.अ 23-2022 .में कुल 63111.42आबंटित किए गए हैं, बीएसएनएल में पूंजी लगाने हेतु 44720करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। तथापि, उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत आबंटित राशि खर्च करने में असमर्थता चिंता का कारण बनी हुई है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विभाग ब.अ-2021 . 22में आबंटित 20410करोड़ रुपए में से एक पैसा भी खर्च करने में असफल रहा है। समिति भारतनेट रक्षा सेवाओं हेतु ओएफसी नेटवर्क, आईडी रिवाइवल हेतु इक्विटी इंफ्यूजल, बीएसएनएल हेतु पूंजी लगाना, टीईसी परियोजनाओं, दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणनआदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत कम खर्च पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आशा करती है कि 2022के दौरान उपयोग में सुधार आएगा तथा अगले वित्तीय वर्ष में कुछ उपर्युक्त योजनाओं में 'शून्य' उपयोग की पुनरावृत्ति नहीं होगी। समिति यह भी चाहती है कि उपर्युक्त योजनाओं के

अंतर्गत निधियों के पर्याप्त आबंटन के लिए विभाग द्वारा पहले से समुचित उपाय किए जाएं ताकि पर्याप्त बजटीय सहायता के अभाव में कार्यान्वयन प्रभावित ना हो।

<u>सरकार का उत्तर</u>

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि विभाग राजस्व और पूंजीगत दोनों शीर्षों के तहत निधियों के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 22-2021के संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि वित्त मंत्रालय ने 72, 937करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जिसमें राजस्व शीर्ष के तहत 41, 803.44करोड़ रुपये और पूंजी शीर्ष के तहत 31, 133.56करोड़ रुपये शामिल हैं जिसे बाद में घटाकर 49, 050.21करोड़ रुपये कर दिया गया था जिसमें राजस्व शीर्ष के तहत 38, 380.04करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान)आरई (स्तर पर 10, 670.17 करोड़ रुपये शामिल थे। वित्त वर्ष 22-2021के लिए व्यय राजस्व शीर्ष)खंड (के तहत 36, 650.93करोड़ रुपये और पूंजी शीर्ष)खंड (के तहत 6397.75करोड़ रुपये शामिल है। यूएसओएफ, "ट्राई बिल्डिंग "जैसी प्रमुख स्कीमों को संशोधित अनुमान)आरई (स्तर पर आवंटित राशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

वर्तमान वित्त वर्ष के लिए सभी संबंधित नोडल शाखाओं को व्यय की प्रभावी निगरानी और विभिन्न प्रचलित स्कीमों के लिए आवंटित निधियों के समुचित उपयोग हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न स्कीमों की प्रगति स्थिति और सी-डॉट, ट्राई, आईटीआई आदि जैसी विभिन्न इकाइयों द्वारा निधियों के उपयोग के आधार पर, वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा कि यदि आवश्यक हो तो संशोधित अनुमान)आरई (स्तर पर आवंटन राशि को बढ़ाया जाए।

इस विभाग द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध में उठाए गए कदम:

1. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व शीर्ष "4जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी अनुदान राशि" और पूंजी शीर्ष "बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम हेतु पूंजी निवेश" के तहत आवंटित निधि का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि बीएसएनएल ने स्पेक्ट्रम के आवंटन के कार्य को इसकी 4जी निविदा की प्रगति के साथ सहबद्ध करने का अनुरोध किया था। वित्त वर्ष 2022-23 में 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम हेतु पर्याप्त निधि आवंटित की गई है। ऐसी आशा है वित्त वर्ष के दौरान इस निधि का उपयोग कर लिया जाएगा। .

2. अक्टूबर, 2019 के पुनरुद्धार पैकेज में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन किए जाने का अनुमोदन किया था। हालाँकि, आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक के विकसित होने में देरी के कारण स्पेक्ट्रम आवंटन को वित्त वर्ष 2022-2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

3. अब अवधारणा के साक्ष्य (पी.ओ.सी) के अनंतिम रूप से पूरा होने के बाद, बीएसएनएल ने 6000 साइटों की स्थापना के लिए उपकरणों की आपूर्ति हेतु 31 मार्च, 2022 को मेसर्स टीसीएस को 4जी नेटवर्क के लिए अपना पहला क्रय आदेश दिया है, जिसके फलस्वरूप बीएसएनएल को वर्ष 2022 में 4जी सेवाओं के प्रारम्भ हो जाने की आशा है। इस संबंध में 100,000 ईएनओडीईबी के लिए पूर्ण आदेश सिंगल विंडो परिदृश्य और पीओसी के लंबित कार्यों के पूरा होने को ध्यान में रखते हुए और मैसर्स टीसीएस के साथ वाणिज्यिक बातचीत के पूरा होने के बाद दिया जाएगा।

4. जैसा कि उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है, बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम का आवंटन वित्त वर्ष 2022-23 में किया जा सकता है, जिसके आधार पर वित्त वर्ष 22-23 में 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए रखी गई निधि का उपयोग किया जा सकेगा।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

<u>सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि)यूएसओएफ(</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 2)

1. समिति नोट करती है कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अनुसार लाइसेंस के समायोजित सकल राजस्व)एजीआर (के 5प्रतिशत पर वसूल की जाती है। इसकी शुरुआत अर्थात् 2002-2003 से 1,21, 827.84करोड़ रुपए की राशि संग्रहीत की गई है और 62564.16 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है। 31.12.2021की स्थिति के अनुसार यूएसओ के अंतर्गत संभावित निधि के रूप में यूएएल की उपलब्ध राशि 59, 263.68करोड़ रुपए है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि यूएएल के अंतर्गत संग्रहीत राशि भारत की संचित निधि में जाती है और यह स्वभावत :अव्यपगत होती है। तथापि समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि यद्यपि काफी राशि यूएसओएफ के अंतर्गत आरक्षित है। तथापि विभाग खर्च के मामले में बहुत कुछ नहीं कर पाया ताकि वह यूएसओएफ के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के लिए पात्र बना सके। 22-2021के दौरान 13250करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि के स्थान पर ब.अ 22-2021 . में 9000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसे सं.अ .स्तर पर घटाकर 8300करोड़ रुपए कर दिया गया था और 21.02.2022तक वास्तविक व्यय मात्र 3472.55करोड़ रुपए था। यह निधियों के कम उपयोग की स्थिति को दर्शाता है और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विभाग को उपयोग की स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी रणनीतियों पर कार्य करने की आवश्यकता है। 23-2022के लिए विभाग ने 9000करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है और ब.अ 23-2022 .में इतनी ही राशि आबंटित की गई है। उनके पास पहले से ही प्राथमिक एवं चालू योजनाएं हैं जिनमें पूरे भारत में सभी 6लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के प्रावधान हेतु भारतनेट, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु व्यापक दूरसंचार विकास योजना को लक्षद्वीप तक सबमरीन केबल बिछाने के लिए द्वीप समूहों सहित व्यापक दूरसंचार विकास योजना और

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल कनेक्टिविटी, सीमावर्ती क्षेत्रों के 354गांवों में मोबाइल सेवाओं के लिए योजना, आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं हेतु योजना तथा वामपंथी अतिवाद)एलडब्ल्यूई (प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाएं आदि सम्मिलित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये अत्यधिक पूंजी गहन अवसंरचना परियोजनाएं हैं तो त्वरित और समय पर कार्यान्वयन इन क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करने में काफी सहायता करेगा और अधिक से अधिक अनकवर्ड गांवों और दुर्गम क्षेत्रों को दूरसंचार क्रांति के दायरे में लाने में सहायता करेगा। समिति इस बात पर जोर देती है कि यूएसओएफ के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु धनराशि की उपलब्धता की बाधा नहीं होनी चाहिए। इस बात पर विचार करते हुए कि यूएसओएफ के अंतर्गत संभावित निधि के रूप में पहले से ही काफी शेष राशि उपलब्ध है तो ब.अ .से सं.अ .स्तर पर निधि में कटौती की प्रवृत्ति को सख्त रूप से टाला जाना चाहिए। विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन पहले से प्राप्त आवश्यक है और उसे अपने व्यय की सीमा बढ़ाने तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग को 23-2022के दौरान यूएसओएफ के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ब.अ .स्तर पर आबंटित 9000करोड़ रुपए के इष्टतम उपयोग के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न यूएसओएफ स्कीमों के तहत संशोधित अनुमान (आरई) (2021-22) के रूप में प्राप्त 8,300 करोड़ रुपये की संपूर्ण निधि का पूर्णतया उपयोग किया गया है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष के दौरान यूएसओएफ के तहत विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु बजट अनुमान (बीई) 2022-23 के तहत 9000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यूएसओएफ की कुछ स्कीमों जिन्हें बजट अनुमान (बीई) 2022-23 आवंटन से यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषित किए जाने की संभावना है, की वर्तमान स्थिति, इस प्रकार हैं:

i. मेघालय में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान की स्कीम और अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की स्कीम के तहत सर्वेक्षण और टावरों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

ii. मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद-I से प्रभावित साइटों (2343 साइटों) को 2जी से 4जी में अपग्रेड करने और इन साइटों के ओएंडएम विस्तार का अनुमोदन कर दिया है। 2542 साइटों के लिए वामपंथी उग्रवाद-II से प्रभावित परियोजना के तहत साइटों का सर्वेक्षण और स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है।

iii. 354 मोबाइल सेवा से वंचित (अनकवर्ड) गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान की स्कीम

iv. 502 आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान की स्कीम और आकांक्षी जिलों के 7287 अनकबर्ड गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान की स्कीम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

v. लक्षद्वीप और कोच्चि तथा अन्य द्वीपों के बीच सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। सबमरीन ओएफसी बिछाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

vi. "भारतनेट" के तहत कुल 1,74,753 ग्राम पंचायतें सेवा हेतु तैयार कर ली गई हैं। भारतनेट के तहत कुल 1,04,302 वाईफाई हॉटस्पॉट और 2,27,781 एफटीटीएच प्रचालित कर दिए गए हैं।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

<u>6 लाख गांव को जोड़ने के लिए भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 4)

समिति नोट करती है कि 30 जून, 2021 को केंद्रीय कैबिनेट ने देश के 16 राज्यों में सरकारी, निजी भागीदारी प्रणाली के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन प्रणाली को अगस्त, 2023 तक मंजूरी दे दी। अब भारतनेट को सभी बसावट वाले गांवों तक ले जाने का प्रस्ताव किया गया है। ये 16 राज्य हैं-केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। प्रस्ताव के लिए अनुरोध 27.01.2022 को खोला गया, फिर भी, बोली पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2025 भारतनेट के एक भाग के रुप में संशोधित मॉडल तैयार किया जा रहा है। समिति को बताया गया है कि अनेक प्रणालियां, जैसे पीपीपी, राज्य चालित और सरकारी क्षेत्र द्वारा चालित देश के सभी गांव तक चरणों में पहुंचने के लिए स्वीकार की जाएगी। समिति यह नोट कर चिंतित है कि ऐसे कारणों जैसे आठ राज्यों (राज्य चालित मॉडल के अंतर्गत लगभग 65000 जीपी) और बीएसएनएल (सीपीएसयू चालित मॉडल में 23000 जीपी) जहां प्रगति धीमी रही है, से भारतनेट फेस-2 के कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही है। कोविड के प्रतिबंध, समय से संगत अनुमोदन और मंजूरी मिलने में विलंब, राज्यों द्वारा परियोजनाओं का घटिया कार्यान्वयन और बीएसएनएल के आंतरिक मुद्दों के कारण उसकी क्षमता संबंधी बाध्यताएं और वित्तीय स्थिति के कारण भी फेस-2 में प्रगति प्रभावित हुई है। समिति महसूस करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाए जाने की अत्याश्यकता है क्योंकि लक्ष्य सभी बसावट वाले गांव अर्थात् 6 लाख गांव के अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करने के लिए बढ़ा दिया गया है। बनाए गए नेटवर्क के अनुरक्षण तथा नेटवर्क के उपयोग में वृद्धि पर भी केंद्रीयकृत ध्यान दिए जाने की जरूरत है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि संशोधित मॉडल जो 16 राज्यों में पीपीपी के माध्यम से भारतनेट के लिए तैयार किया जा रहा है उसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि परियोजनाओं का कार्यान्वयन बिना किसी विलंब के आगे बढ़ सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि अनेक परियोजनाएं जो सभी बसावट वाले गांव तक ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए विचाराधीन हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जाए और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी शीघ्र ली जाए। 2022-23 में हुई विस्तृत प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वर्ष 2022-23 की बजट स्पीच में, यह उल्लेख किया गया है कि पीपीपी के माध्यम से भारतनेट परियोजना का कार्य वर्ष 2022-23 में शुरू (अवार्ड) कर दिया जाएगा और वर्ष 2025 में इसके पूरा हो जाने की आशा है। इसके अलावा, पीपीपी निविदा में भागीदारी संबंधी बाधक तत्वों/कारकों के मद्देनजर, भारतनेट के लिए एक संशोधित पीपीपी मॉडल विचाराधीन है। इसके अलावा, भारतनेट चरण-I नेटवर्क के रखरखाव के लिए बीएसएनएल द्वारा एक व्यापक एसएलए-आधारित ओएंडएम निविदा जारी की गई है।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

<u>वामपंथी उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाईल संचार सेवा के लिए स्कीम</u>

<u>(सिफारिश क्रम संख्या 6)</u>

समिति नोट करती है कि 106 जिलों में 2343 2जी टॉवर की स्थापना करके बीएसएनल ने एलडब्ल्यूई चरण-। का कार्यान्वयन किया था। 4जी अपग्रेडेशन और मौजूदा एलडब्ल्यूई चरण-। स्थलों के प्रसार का कार्य 2426 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ विचाराधीन है। समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रिमंडल ने 23.05.2018 को एलडब्ल्यूई चरण-II परियोजना को मंजूरी दी थी। एलडब्ल्यूई चरण-II के अंतर्गत 2542 4जी टॉवर की स्थापना की जाएगी जिसके लिए 2211.11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ रिलायंस जियो इनफोकॉम लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना को मार्च, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। समिति को बताया गया है कि परियोजना के समयबद्ध रूप से पूरा होने के लिए निगरानी की जा रही है। वित्तीय आवंटन के बारे में समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 300 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

समिति का मत है कि एलडब्ल्यूई चरण-II परियोजना जिसे मंत्रिमंडल द्वारा बहुत पहले 23 मई 2018 को मंजूरी दे दी गई थी, आवश्यकताओं में यदा-कदा संशोधन होने के कारण तथा

परियोजना के आबंटन में कमी करने के कारण उसमें बहुत विलंब हुआ है। समिति महसूस करती है कि इन क्षेत्रों में 4जी सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं का प्रावधान होने से लोगों को उनके घर पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने में बहुत सहायता मिलेगी तथा परियोजना के कार्यान्वयन में और विलंब होने से इन क्षेत्रों के लोगों की कनेक्टिविटी की समस्या बढ़ेगी ही। समिति सिफारिश करती है कि एलडब्ल्यूई चरण-II परियोजना को निर्धारित समय-सीमा मार्च 2023 तक पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयास किया जाना चाहिए। समिति यह भी महसूस करती है कि परियोजना की अनुमानित लागत 2211.11 करोड़ रुपए है इसलिए 2022-23 में अति अल्प 300 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन बहुत अपर्याप्त होगा। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि इस स्कीम के अंतर्गत निधियों का पर्याप्त आवंटन आवश्यक है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि एलडब्ल्यूई चरण-I के अंतर्गत 2343 2जी टावर को 4जी में उन्नयन करने की योजना जो विचाराधीन है उसे भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। समिति को इस योजना के अंतर्गत न केवल एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों बल्कि पूरे देश में हुई प्रगति तथा प्राप्त लक्ष्यों के बारे में बताया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

एलडब्ल्यूई चरण-II (2542 स्थलों) की परियोजना का कार्य चल रहा है और सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरा होने की संभावना है। टावरों की स्थापना का कार्य भी शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने एलडब्ल्यूई चरण-I के 2343 स्थलों का 2जी से 4जी में उन्नयन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और नामांकन के आधार पर बीएसएनएल को कार्य सौंपा जाना है।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

.

<u>रक्षा स्पेक्ट्रम :रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 7)

समिति नोट करती है कि रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी नेटवर्क विभाग द्वारा लागू की जा रही अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस परियोजना के लिए प्रारंभिक स्वीकृत लागत 13334 करोड़ रुपए थी जिसे संशोधित करके अब 24,664 करोड़ रुपए कर दिया गया है। समिति नोट करती है कि इस परियोजना के दो घटक हैं - ऑप्टिकल फाइबर केबल)ओएफसी (तथा उपकरण ओएफसी के अंतर्गत 60,000 किलोमीटर में से लगभग 58,300 किलोमीटर अर्थात ओएफसी का 97प्रतिशत बिछा दिया गया है। उपकरण के बारे में सभी आठों घटकों के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा क्रय आदेश जारी कर दिए गए हैं। समिति को यह भी बताया गया है कि आज तक 20,545 करोड़ की धनराशि अर्थात 83% परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए बीएसएनल को जारी कर दी गई है। इस परियोजना के मार्च 2022 से यूएनएमएस (यूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम (के बिना धीरे-धीरे शुरू किए जाने की आशा है और जिसे जून 2022 तक पूरा होने की आशा है। विभाग ने समिति को बताया है कि यह अत्यंत जटिल परियोजना है तथा इसमें अत्यंत कठिन क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना है। ऐसे अनेक लिंक हैं जहां मार्गाधिकार होने से तथा अन्य कार्य जो पहले से चल रहे हैं के कारण शुरू नहीं हो सका है। अब विभाग आशा करता है कि संपूर्ण नेटवर्क से संबंधित कार्य उन लिंक को छोड़कर जिन्हें कार्य बल उपलब्धता की कमी के कारण नहीं बनाया जा सकता है, जून 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। विभाग ने समिति को यह भी बताया है कि यह परियोजना चिप की वैश्विक कमी के कारण भी प्रभावित हो रही है। यूएनएमएस से संबंधित शेष कार्य दिसंबर तक पूरा हो पाएगा। कार्य की कमांड-वार प्रगति के बारे में समिति को बताया है कि दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इसे सेना को 15 मार्च 2022 तक सौंप दिया जाएगा। पश्चिम क्षेत्र में भी कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा प्रतिवर्ष एक कमांड को सौंपने की योजना है।

समिति यह नोट करती है कि 'स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क (एनएफएस)' परियोजना का उद्देश्य रक्षा सेवाओं के लिए समर्पित ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) आधारित नेटवर्क प्रदान करना है, जिसे बीएसएनएल द्वारा स्पेक्ट्रम जारी करने के बदले में कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि परियोजना आरओडब्ल्यू अनुमतियां प्राप्त करने में विलंब, पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित कार्य मौसम, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आवाजाही में प्रतिबंध आदि जैसे कारणों से

अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। समिति यह भी नोट करती है कि चिप की वैश्विक कमी के कारण परियोजना को नुकसान हो रहा है। यद्यपि परियोजना में विलंब के लिए विभाग द्वारा बताए गए कारण तर्कसंगत और वास्तविक प्रतीत होते हैं, अत: परियोजना को चालू करने और रक्षा सेवाओं को उनकी ओएफसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें सौंपने में तात्कालिकता को शायद ही कम करके आंका या अनदेखा किया जा सकता है। परियोजना के महत्व और अत्यधिक विलंब को ध्यान में रखते हुए समिति का यह मानना है कि विभाग को उपरोक्त मुद्दों को रणनीतिक हस्तक्षेप के साथ समाधान करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि परियोजना अपनी समय-सीमा के अनुसार पूर्ण हो। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग/बीएसएनएल द्वारा सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना बिना किसी विलंब के समयबद्ध तरीके से पूरी हो।

<u>सरकार का उत्तर</u>

दूरसंचार विभाग और रक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.04.2022 की एनएफएस परियोजना की हाल ही में हुई सचिव स्तर की संयुक्त समीक्षा बैठक में यह बताया गया था कि सेना ओएफसी के कुल 924 लिंकों में से 890 संपर्क चालू कर दिए गए हैं और लागू करने योग्य 16 लंबित डूएबल लिंक जून 2022 तक पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार शेष कार्य पूरा करने के लक्ष्य के साथ नौसेना ओएफसी के 96% काम को जून 2022 तक पूरा कर दिया गया है। बीएसएनएल के सीएमडी ने आगे बताया कि दक्षिण-पश्चिम कमान (एसडब्ल्यूसी) दिनांक 8/4/2022 से चालू हो गयी है और भारतीय नौसेना ग्रीनफील्ड नेटवर्क फरवरी 2022 में पहले ही चालू हो चुका है। अन्य सेना कमानों के लिए प्रचालन की समय-सीमा नीचे दी गई है:

:

क्र. सं.	**कमान**	**अपेक्षित समय**
1	पश्चिमी	30/6/2022
2	दक्षिणी	31/8/2022
3	उत्तरी	30/9/2022
4	केंद्रीय	31/12/2022

5	पूर्वी	31/12/2022

बीएसएनएल द्वारा दी गई घटक-वार पूरा करने की समय-सीमा निम्नानुसार है।

क्र. सं.	**घटक**	**% उपलब्धि**	**समय-सीमा**
1	सेना ओएफसी	98% लागू करने योग्य	जून 2022
2	नौसेना ओएफसी	96%	जून 2022
3	डीडब्ल्यूडीएम	97%	जून 2022
4	जीओएफएनएमएस	99%	जून 2022
5	आईपी-एमपीएलएस (नौसेना)	99%	जून 2022
6	उपग्रह	हब-100%वी-सैट - 82%	सितंबर 2022
7	माइक्रोवेव	86%	सितंबर 2022
8	आईपी-एमपीएलएस (सेना)	80%	दिसंबर 2022
9	एमसीईयू	80%	जून 2022 (सेना के लिए)
10	यूएनएमएस	40%	दिसंबर 2022

सीसीईए 2018 के अनुमोदन के अनुसारपरियोजना के पूरा होने की समय-सीमा मई 2020 थी। सक्षम प्राधिकारी ने आगे यह भी अनुमोदित किया है कि परियोजना को दिनांक31 मार्च, 2022 तक पूरा किया जा सकता है। तथापिबीएसएनएल ने सूचित किया है कि इसपरियोजना को दिसम्बर, 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। विलम्ब के कारण हैं:

- यहपरियोजना यह परियोजना 60,000 किमी ओएफसी की अत्यधिक जटिल प्रकृति की है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), रेल, राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों (पीडब्ल्यूडी, वन, वन्यजीव, नगर निकायों आदि) जैसी विभिन्न एजेंसियों से सैकड़ों मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) अनुमतियां प्राप्त करने में कठिनाइयों/विलंब का सामना करना पड़ा।
- लद्दाख/कश्मीर/अरुणाचल प्रदेश/सिक्किम में मौसम के कारण कार्य का मौसम सीमित है।

- इसके अलावा कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आवाजाही में प्रतिबंधों के कारण परियोजना में विलंब हो रहा है।
- एमसीईयू घटक चिप की वैश्विक कमी के कारण प्रभावित हो रहा है।
- सेना ने एफडीएमएस (फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली) पर समाप्ति के लिए अतिरिक्त ओएफसी की आवश्यकता और एफडीएमएस की अतिरिक्त आवश्यकता की मांग है जिससे परियोजना में देरी हो रही है।
- मैसर्स बीईएल द्वारा एमसीईयू (एन्क्रिप्टर्स) और सैटेलाइट घटक की प्रगति बहुत धीमी है जिसने इस स्तर पर नौसेना और सेना के एनएफएस को भी प्रभावित किया है।

सचिव (टी)/सचिव (एमओडी) द्वारा संयुक्त रूप से एनएफएस परियोजना की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा रही है। बीएसएनएल के सीएमडी/डीडीजी (पीएम) भी परियोजना की प्रगति का पता लगाने के लिए परियोजना की समीक्षा करते हैं। सभी बैठकों में रक्षा सेवाओं के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। एनएफएस परियोजना की समीक्षा एएस (टी) द्वारा भी की जा रही है और बीएसएनएल द्वारा दी गई समय-सीमा के अनुसार परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

<u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा</u>

<u>भारत संचार निगम लिमिटेड</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 9)

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान बीएसएनएल का अनुमानित निवल घाटा 5986 करोड़ रुपये है। यह विभाग द्वारा बीएसएनएल की पुनरुद्धार योजना लागू किए जाने के बावजूद है। समिति को सूचित किया गया है कि पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के बाद बीएसएनएल और एमटीएनएल में वीआरएस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल में वेतन व्यय में लगभग 50 प्रतिशत और एमटीएनएल में लगभग 80 प्रतिशत की कमी आई है। तथापि विभाग ने समिति को सूचित किया है कि बीएसएनएल की अनुमानित निवल हानि मुख्य रूप से 4जी सेवाओं के उपलब्ध न होने के कारण है। लैंडलाइन राजस्व भी हाल ही में घटा है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि कैपेक्स के

लिए निधियों की अनुपलब्धता ने नेटवर्क और सेवाओं के विस्तार को प्रभावित किया है। इस तथ्य को देखते हुए कि उपर्युक्त कारणों से बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर हुआ है, जिसके वर्ष 2022-23 में जारी रहने की संभावना है, साथ ही वर्ष 2022-23 में बीएसएनएल द्वारा राजस्व में भारी वृद्धि कर पाना कठिन लगता है। बीएसएनएल के 4जी सेवाओं से प्राप्त राजस्व और भूमि मुद्रीकरण से होने वाली आय की मदद से वर्ष 2025-26 तक ही पीएटी पॉजिटिव होने की उम्मीद है। चूँकि बीएसएनएल के लिए 4जी को अभी शुरू किया जाना है, अत: समिति ने नोट किया है कि कंपनी अन्य स्रोतों से राजस्व अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान किराये की आय से अनुमानित राजस्व आय वर्ष 2019-20 में 160 करोड़ रुपये की तुलना में 220 करोड़ रुपये है। बीएसएनएल की योजना किराये की आय से अधिक राजस्व जोड़ने की है। बीएसएनएल के 13,500 टावरों को भी शेयरिंग के आधार पर लगाया गया है और बीएसएनएल को प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपये की आय हो रही है। बीएसएनएल ने ऑप्टिकल फाइबर को भी पट्टे पर दिया है जिसके लिए कंपनी को 400 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हो रहे हैं। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि फाइबर आधारित एफटीटीएच कनेक्शन बीएसएनएल की वृद्धि और सफलता का आधार है। जनवरी, 2021 तक बीएसएनएल के पास 21 लाख एफटीटीएच कनेक्शन हैं।

समिति नोट करती है कि वीआरएस के कार्यान्वयन से बीएसएनएल के वेतन व्यय में भारी कमी आई है। तथापि आने वाले वर्षों में बीएसएनएल के अनुमानित घाटे को कम करने के लिए अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। समिति को यह बताया गया है कि संगठन में कौशल आवश्यकता की पहचान के लिए किसी भी महत्वपूर्ण मूल्यांकन के बिना पूरे संगठन में वीआरएस लागू किया गया है। समिति को डर है कि वीआरएस वास्तव में कंपनी की राजस्व आय के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति की कमी का कारण बन सकता है। समिति को इस बात की खुशी है कि बीएसएनएल में अभी तक सभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से कंपनी राजस्व अर्जित करने की कोशिश कर रही है। समिति उपर्युक्त उपायों की सराहना करते हुए यह सिफारिश करती है कि विभाग/बीएसएनएल राजस्व अर्जन की संभावनाओं का पूरी तरह से पता लगाने के लिए अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखेगा और सभी उपलब्ध बचतों अर्थात् किराये की आय, टावर परिसंपत्तियों में भागीदारी, फाइबर को पट्टे पर देना, एफटीटीएच कनेक्शन आदि से अपनी राजस्व आय में वृद्धि करना जारी रखेगा। समिति को परिसंपत्तियों की नीलामी, जो हो सकती है, से होने वाली आय सहित इस संबंध में प्राप्त उपलब्धि से अवगत कराया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

समिति ने बीएसएनएल से सभी उपलब्ध बचतों अर्थात किराये से प्राप्त आय, टावर परिसंपत्तियों का साझाकरण, फाइबर को पट्टे पर देने, एफटीटीएच कनेक्शनों आदि से राजस्व बढ़ाने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए कहा है।

इन मदों के संबंध में राजस्व की स्थिति नीचे दी गई है।

1) राजस्व की स्थिति:

राजस्व का ब्यौरा इस प्रकार है:

	2020-21	2021-22 (अनुमानित)
कुल आय (करोड़ रुपये में)	18595	18600

2) राजस्व बढ़ाने के उपाय:

(i) किराये और भूमि मुद्रीकरण से प्राप्त राजस्व

	2020-21	2021-22 (अनुमानित)
किराये की आय (करोड़ रुपये में)	165	218

दिनांक 23.10.2019 को पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा के बाद से भूमि और भवनों के मुद्रीकरण से प्राप्त राशि 144.32 करोड़ रुपये है।

(ii) बीएसएनएल की टावर परिसंपत्तियों की साझेदारी से प्राप्त राजस्व

	2020-21	2021-22 (अनुमानित)
पैसिव इन्फ्रा-स्ट्रक्चर शेयरिंग से राजस्व (करोड़ रुपये में)	964	1015

(iii) बीएसएनएल के पट्टे पर दिए गए ओएफसी से प्राप्त राजस्व

बीएसएनएल के पट्टे पर दिए गए ओएफसी से प्राप्त राजस्व

वर्ष	फाइबर लीज आउट उपलब्धि (फाइबर कि.मी. में) (संचयी)	अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)
2020-21	215339	392.49
2021-22	220230	400.46

(iv) एफटीटीएच कनेक्शन, डाटा ट्रैफिक और राजस्व

की स्थिति के अनुसार	कनेक्शनों की संख्या	पीबी में ट्रैफिक	राजस्व करोड़ रुपये में
(31.03.2021)	12,83,283	1408	938
(31.03.2022)	21,43,692	3538	1500 (अनुमानित)

(v) परिचालन व्यय में कमी

वित्त लागत, लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार, मूल्यह्रास जो क्रमश: उधार, राजस्व और परिसंपत्ति आधार पर निर्भर हैं, के अलावा, लागत के अन्य प्रमुख कारक कर्मचारियों के व्यय और अन्य प्रचालनगत व्यय हैं।

वीआरएस के बाद कर्मचारियों के खर्चों में कमी के कारण बीएसएनएल की लागत में कटौती हुई है। इसके प्रचालनात्मक व्यय में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। रखरखाव का खर्च, किराये के खर्च, सुरक्षा और वाहन चलाने के खर्चों में बड़ी कमी आई है।

पिछले कुछ वर्षों में कर्मचारियों की लागत और अन्य परिचालन व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रु. में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	वित्त वर्ष 21-22 के अंत में 9 माह का	2021-22 (अनुमानित)
अन्य परिचालन	12,060	10,573	9,481	5,606	9400

व्यय					
स्टाफ लागत	14,316	13,597	6,679	5,263	7091

(vi) कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और कैपेक्स को पूरा करने के लिए **उच्च वित्त लागत।** बीएसएनएल बैंकों/खुले बाजार से निधि उधार लेता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बीएसएनएल ने ऋण देने वाले बैंक के 6 महीने / 1 वर्ष के एमसीएलआर के आधार पर ब्याज की दर पर दिनांक 31.03.2022 तक 7270 करोड़ रुपये का राशि उधार पर ली है। वर्तमान में बैंकों से उधार लेने की भारित औसत लागत 7.45% वार्षिक है।

बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 6.79% प्रतिवर्ष की कूपन दर से खुले बाजार से सूचीबद्ध एनसीडीएस (बॉन्ड) के माध्यम से 8500 करोड़ रुपये की निधि जुटाई है। ये बांड दूरसंचार विभाग द्वारा जारी संप्रभु गारंटी के साथ जारी किए गए थे।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

<u>महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 11)

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 मई एमटीएनएल का अनुमानित शुद्ध घाटा 3139.60 करोड़ों रुपए है। समिति नोट करती है कि 28 फरवरी 2022 तक एमटीएनएल की बकाया कर्ज 26,538 करोड़ों रुपए है। बैठक के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल के सीएमडी ने समिति को स्पष्ट रूप से बताया कि एमटीएनएल को तब तक चलने वाली कंपनी नहीं बनाया जा सकता जब तक इस की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत बड़ा हस्तक्षेप ना किया जाए। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि यदि एमटीएनएल के बकाया कर्ज को एकतरफ रख दिया जाए तभी इस की सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अपने वर्तमान स्थिति में एमटीएनएल बिल्कुल भी चलने योग्य कंपनी नहीं है, तथापि एमटीएनएल को बंद करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। घूमने सिद्धा दिया है कि एक संभव उपाय और व्यवहारिक अदम्य हो सकता है कि स्पेशल परपस वेहिकल (एसपीवी) बनाकर इस के कर्ज और संपति के मामले को देखना चाहिए और परिचालन संबंधी कार्य को बीएसएनएल में विलय कर देना चाहिए और विराम उन्होंने यह भी बताया कि इससे बीएसएनएल को भी लाभ होगा।

समिति को यह भी सूचित किया गया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच संबंध स्थापित करने की दिशा में प्रयास होनी चाहिए और इन दोनों कंपनियों के बीच पहले से ही काफी संबंध स्थापित किए जा चुके हैं जहां उपकरण, कोडों आदि का आदान प्रदान किया जा रहा है।

समिति एमटीएनएल की कठिन स्थिति से पूरी तरह अवगत है। समिति का दृढ़मत है कि जहां तक एमटीएनएल का संबंध है इस के मामले पर हमेशा से उतार-चढ़ाव रहा है और एमटीएनएल के भविष्य पर तत्काल निर्णय लिए जाने की जरूरत है। समिति मानती है कि वर्तमान स्थिति में पहले की तरह एमटीएनएल के व्यवसाय को जारी रखना केवल करदाताओं के धन का दुरुपयोग होगा और इसे यथाशीघ्र रोका जाना चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि एयरइंडिया की तरह इस के कर्ज और संपत्ति के बारे में विचार करने सहित विभिन्न विकल्पों पर विभाग को विचार करना चाहिए और बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के सीएमडी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार इसके परिचालन को बीएसएनएल के साथ विलय करना चाहिए एवं एमटीएनएल के भविष्य से संबंधित कुछ व्यवहार्य प्रस्ताव लाने चाहिए। समिति इस तथ्य से भी अवगत है कि एमटीएनएल को बंद करने पर लिए गए कोई भी निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

<u>सरकार का उत्तर</u>

(क) मंत्रिमंडल ने अक्तूबर, 2019 में सैद्धांतिक रूप से एमटीएनएल के विलय को अनुमोदन प्रदान किया था। तथापि एमटीएनएल के उच्च ऋण और बीएसएनएल की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण यह स्पष्ट हुआ कि एमटीएनएल का विलय उचित नहीं था तथा इसलिए मंत्री समूह (जीओएम) ने दिनांक 21.12.2020 को एमटीएनएल की ऋण की स्थिति में सुधार होने तक इसके विलय को अस्थगित कर दिया। जीओएम ने दिल्ली/मुबंई में बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम आबंटित करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया ताकि बीएसएनएल पूरे भारत में इसका प्रचालन कार्य कर सके। बीएसएनएल ने दिल्ली में दिनांक 01.04.2021 से और मुबंई में दिनांक 01.09.2021 से वायरलेस सेवाओं का कार्य संभाल लिया है।

(ख) सार्वजनिक उद्‌यम विभाग ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) की स्थापना की है। एमटीएनएल से एनएलएमसी की सेवाओं का लाभ उठाने और भूमि परिसंपत्ति मुद्रीकरण की

प्रक्रिया में गति लाने की उम्मीद है। तथापि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा मुद्दों के समाधान में विलंब को खारिज नहीं किया जा सकता जिसका समाधान बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष मामले की प्रस्तुति के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल के विलय की कार्रवाई ऋण के निपटान के बाद की जाएगी। बांड जुटाने के लिए एमटीएनएल को सरकारी गारंटी देने का प्रस्ताव अग्रिम चरण में है ताकि यह अपने उच्च लागत वाले ऋण को चुका सके और नए वहनीय ऋण का पुनर्गठन कर सके।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड

(सिफारिश क्रम संख्या 13)

समिति नोट करती है कि 2019-20 के दौरान आईटीआई की कुल आय 2243 करोड़ रुपए थी और शुद्ध लाभ 147 करोड रुपए था जिसमें 85.40 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान शामिल है। 2020-21 के दौरान कुल आय 2523 करोड़ रुपए थी और शुद्ध लाभ 11 करोड़ रुपए था। 2021-22 के दौरान 30 सितंबर, 2021 तक कुल शुद्ध घाटा 144 करोड रुपए था। विभाग में 2021-22 के दौरान आईटीआई के शुद्ध घाटा का मुख्य कारण कोविड-19 महामारी की वजह से कार्यकारी पूंजी की कमी, लॉजिस्टिक कमी, आदि बताया है। तथापि आईटीआई को आशा है कि वह वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक राजस्व लक्ष्य प्राप्त कर लेगा और उपलब्ध ऑर्डरों को अधिकतम सीमा तक पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। इसके साथ परियोजना की जरूरतों के लिए अपने निर्मित उत्पादों का उपयोग कर रही है जिससे कंपनी को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है। समिति को यह भी बताया गया है कि आईटीआई दो परियोजनाएं नामत: महानेट और गुजनेट कर रही है। गुजनेट का कार्य पूरा हो गया है जिससे आईटीआई को लाभ हो रहा है जबकि महानेट का लाभ मार्जिन कम रहा है और इसे बुक नहीं किया गया है। तथापि कंपनी अभी भी लाभ की स्थिति में है। पूंजीगत व्यय के संबंध में समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2021-22 में 80 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसे संशोधित

अनुमान में घटाकर शून्य कर दिया गया है। विभाग ने समिति को यह भी बताया है कि सक्षम प्राधिकारी ने आईटीआई को जारी करने के लिए 3 मार्च, 2022 को 70 करोड रुपए अनुमोदित की है। 2022-23 के लिए 400 करोड़ रुपए के प्रस्तावित राशि की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में केवल 200 करोड़ रुपए आवंटित की गई है।

समिति का मत है कि आईटीआई लिमिटेड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार उपक्रम देश की घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को प्रोत्साहन देने में केंद्रीय भूमिका निभा सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हाल में सरकार दूरसंचार उपकरण सहित हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के स्वदेशी निर्माण को बहुत ज्यादा महत्व और जोर दे रही है, विभाग को कंपनी के कायाकल्प की गति को बनाए रखने और आईटीआई को सभी सहायता देने की जरूरत है ताकि यह देश में दूरसंचार उपकरण के घरेलू विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। समिति सिफारिश करती है कि आईटीआई को पर्याप्त पूंजी का आवंटन किया जाना चाहिए ताकि यह न केवल अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ा सके वरन साथ ही नवीनतम आधुनिक प्रौद्योगिकी से स्वयं को सुसज्जित और 5जी उपकरण सहित नवीनतम उत्पाद का भी निर्माण करने में भी सक्षम हो सके। समिति इसे दुर्भाग्य मानती है कि 2021-22 के दौरान सक्षम प्राधिकारी ने 70 करोड रुपए के पूंजीगत व्यय का अनुमोदन 3 मार्च, 2022 को दिया। 2022-23 के दौरान भी 400 करोड रुपए के प्रस्तावित राशि की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में केवल 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। जब तक इसके संसाधनों को बढ़ाने के लिए कंपनी के कुछ संपत्तियों का मुद्रीकरण करना संभव नहीं होता तब तक निश्चित रूप से यह कंपनी की परियोजना कार्यान्वयन क्षमता को प्रभावित होगी। जटिल दूरसंचार परिवेश मे बाजार व्यवहार्यता को उचित सम्मान देते हुए सतत प्रयास जारी रखने से कंपनी के संपूर्ण कायाकल्प करने में सहायता मिलेगी और आने वाले वर्षों में राजस्व आय में वृद्धि होगी।

<u>**सरकार का उत्तर**</u>

दूरसंचार विभाग पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन और आई टी आई लि. को विकास पथ पर रखने के लिए सभी प्रयास और सहायता प्रदान कर रहा है।

सांविधिक देनदारियां और आई टी आई द्वारा की गई अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित सहायता अनुदान के रूप में 1892.79 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता की पूर्ण राशि आई टी आई को पहले ही जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अब तक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता के रूप में आई टी आई को 945.56 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है और बजट अनुमान 2022-23 के लिए 200 करोड़ रूपए की

अतिरिक्त राशि का आबंटन किया गया है। आई टी आई लिमिटेड के पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए शीर्ष समिति के अनुमोदन के बाद आई टी आई लि. को यह राशि (केपेन्स) जारी की जाएगी। आईटीआई की परियोजना कार्यान्वयन संबंधी योजना के अनुसार अतिरिक्त कैपेन्स के लिए आईटीआई लि. को पर्याप्त निधि के आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा।

आईटीआई को आबंटित की गई निधि का इष्टम उपयोग हो इसके मद्देनजर आइटीआई की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है ताकि कंपनी का पूर्ण रूप से कायापलट हो सके और आने वाले वर्षों में राजस्व आय में वृद्धि कर सके।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

<u>आईटीआई श्रीनगर इकाई</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 14)

समिति को बताया गया है कि श्रीनगर की आईटीआई इकाई के लिए कई प्रकार के क्रियाकलापों की योजना बनाई गई है जिसमें भारतनेट परियोजना के लिए आपूर्ति हेतु पीएलबी एचडीपीई डक्ट के विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करना, आदि शामिल है। समिति को बताया गया है कि इससे श्रीनगर इकाई के राजस्व बढ़ाने में सहायता मिलेगी। समिति नोट करती है कि जम्मू व कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने श्रीनगर संयंत्र स्थल का दौरा किया है और पीएलबी एचडीपीई विनिर्माण संयंत्र की स्थापना हेतु जम्मू व कश्मीर सरकार का अनुमोदन मिलना है। विभाग ने समिति को बताया है कि दूरसंचार आयोग (अब डीसीसी) ने 31 अगस्त, 2018 को हुई अपनी बैठक में आईटीआई की श्रीनगर इकाई को बंद करने का निर्देश दिया था लेकिन चूंकि आईटीआई ने श्रीनगर इकाई को जारी रखें रुचि व्यक्त की है, इसलिए आईटीआई को डीसीसी के विचार और अनुमोदन हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समिति चाहती है कि विभाग

इस मामले को जम्मू व कश्मीर सरकार के साथ पूरी ईमानदारी से उठाएं और उनसे पीएलबी एचडीपीई विनिर्माण संयंत्र की स्थापना हेतु अपना अनुमोदन देने के लिए अनुरोध किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि आईटीआई श्रीनगर इकाई के लिए उपयुक्त रूप से भावी रूपरेखा बताते हुए इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव आईटीआई द्वारा बनाई जाए और डीसीसी के विचार और अनुमोदन हेतु उसे प्रस्तुत किया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

विभाग ने डीसीसी के विचारार्थ मेसर्स आईटीआई बोर्ड के अनुमोदन से मेसर्स आईटीआई लि. को श्रीनगर यूनिट के भविष्य के रोडमैप संबंधी विस्तृत योजना सहित एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

अध्याय-III

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता हैः

-शून्य-

अध्याय IV

टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता हैः

<u>भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 3)

समिति नोट करती है कि भारतनेट विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है और देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) (लगभग 2.6 लाख) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है। 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के कार्यान्वयन के साथ चरण-एक को दिसंबर, 2017 में पूरा किया गया था। चरण-दो कार्यान्वयाधीन है। विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना से समिति नोट करती है कि दिनांक 31 जनवरी, 2022 को 30885.31 करोड़ रुपए की राशि उपयोग की गई है, 5,61,357 कि.मी. तक ओएफसी बिछाई गई है, 1,70,031 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है, 1,04,259 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉट-स्पॉट प्रदान किए गए हैं, 1,89,050 एफटीटीएच कनेक्शन दिए गए हैं, 34,514 कि.मी. डार्क फाइबर लीज पर लिए गए हैं आदि। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि डाटा कंजपशन का 5030 टीबी भी दर्ज किया गया है और आशा हे कि आगामी दिनों में इसमें वृद्धि होगी। राजस्व विभाजन के संबंध में बीएसपी के साथ अब तक 54 राजस्व विभाजन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और आशा है कि एफटीटीएच कनेक्शन के प्रावधान में निकट भविष्य में बढ़ोतरी होगी। समिति नोट करती है कि सेवा के लिए तैयार 65772 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉट-स्पाट उपलब्ध कराए जाने हैं। समिति यह भी नोट करती है कि चरण-एक के अंतर्गत लगभग 1.10 लाख ग्राम पंचायतों, वाई-फाई सेवाओं को उपलब्ध कराए जाने का कार्य सीएससीई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है और लगभग 10,000 ग्राम पंचायतों का कार्य राजस्थान सरकार को सौंपा गया है। सीएससी-एसपीबी को भी चरण-एक की 771115 ग्राम-पंचायतों में 5 सरकारी संस्थाओं के एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने के लिए वीजीएफ प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, चरण-दो में बिहार के 2692 ग्राम पंचायतों और 36744 गांवों में एक वाई-फाई और 5 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने के लिए सीएससी को भी कार्य सौंपा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 94800 सरकारी संस्थानों अर्थात् विद्यालय, आंगनबाड़ी, राशन की दुकानों, स्वास्थ्य ओर आरोग्य केंद्रों, डाकघरों आदि को सीएससी-एसपीवी

द्वारा पहले ही कनेक्ट कर दिया गया है। चरण-दो के अंतर्गत राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल में भारतनेट का उपयोग राज्यों को सौंपा गया है। भारतनेट 8 राज्यों/संघ राज्यों की 16424 ग्राम पंचायतों को उनके स्थान का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

उपर्युक्त टिप्पणी से समिति नोट करती है कि सीएससी-एसपीवी को ग्राम पंचायतों में वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट देना और जीपी में सरकारी संस्थाओं को एफटीटीएच कनेक्शन का भारी कार्य दिया गया है। समिति का मत है कि सीएससी-एसपीवी के कार्यकरण की उचित निगरानी किए जाने की आवश्यकता है ताकि वह उन सभी जीपी में वाई-फाई सेवाओं एवं एफटीटीएच कनेक्शन देने में सक्षम हो सके जो उसे दी गई है। समिति ने पहले ही यूएसओएफ के अंतर्गत निधियों के प्रभावी उपयोग पर बल दिया है जिसमें भारत नेट परियोजना प्रमुख परियोजनाओं में से है जिसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि निर्धारित है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा योजनाओं की निधियों के उपयोग को बढ़ाने और और फेस-2 के अंतर्गत बनाए गए नेटवर्क के इष्टतम उपयोग के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग/बीबीएनएल सेवा के लिए तैयार सभी जी.पी में वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करने के लिए ईमानदार प्रयत्न करे। इस परियोजना के अंतर्गत हुई प्रगति की विस्तृत स्थिति के बारे में समिति को बताया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

भारतनेट चरण-II के ईष्टतम उपयोग के संबंध में निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:

- चरण-II के तहत भारतनेट के उपयोग का कार्य एजेंसियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सौंपा गया है:

क्र. सं	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी
2.	उत्तर प्रदेश	बीएसएनएल
3.	मध्य प्रदेश	बीएसएनएल
4.	सिक्किम	बीएसएनएल
5.	पंजाब	बीएसएनएल

6.	बिहार	बीएसएनएल
7.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएफएल
8.	तेलंगाना	टी-फाइबर
9.	ओडिशा	ऑप्टीसीएल
10.	झारखंड	जेसीएनएल
11.	गुजरात	जीएफजीएनएल
12.	महाराष्ट्र	महा-आईटी
13.	छत्तीसगढ	चिप्स
14.	तमिलनाडु	टैनफिनेट

उपरोक्त के अलावा 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 5520 ग्राम पंचायतों में उपयोग का कार्य बीबीएनएल/बीएसएनएल द्वारा किया जा रहा है।

चरण-II के तहत भारतनेट नेटवर्क के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के लिए बीबीएनएल/यूएसओएफ द्वारा उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

भारतनेट के उपयोग की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

- स्थापित वाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या (ग्राम पंचायतें): 1, 04,302
- प्रचालित किए गए एफटीटीएच कनेक्शनों की संख्या: 2, 27,781
- पट्टे पर (लीज्ड) डार्क फाइबर: - 38519.4 किमी
- मासिक डेटा खपत: - 4199 टीबी
- स्वान (एसडब्ल्यूएएन) द्वारा उपयोग: 16830 जीपी

- इसके अलावा, भारतनेट नेटवर्क के उपयोग को बढ़ाने के लिए एफटीटीएच कनेक्शन के प्रावधान हेतु आईएसपी के साथ राजस्व साझेदारी करारों पर भी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। अबतक 92 राजस्व साझेदारी करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

- ऐसी ग्राम पंचायत साइटों जहां वीसैट स्थापित किया गया है, पर वाई-फाई एक्सेस पॉइंट की स्थापना के लिए बीबीएनएल द्वारा निविदा जारी की जाएगी।

- भारतनेट के संबंध में आईएसपी/टीएसपी और एमएसओ (मोबाइल सेवा ऑपरेटर) के बीच जागरूकता लाने के लिए विपणन कार्यक्रमों/बैठकों के आयोजन की योजना बनाई जा रही है।

- सेवाओं को किफायती बनाने के लिए बीबीएनएल सेवाओं के प्रशुल्क को कम रखा गया है।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय -1 का पैरा संख्या 8 देखिए)

<u>दूरसंचार उपकरणों का अनिवार्य परीक्षण</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 8)

समिति यह नोट करती है कि दूरसंचार उपकरणों का अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई) घरेलू मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम), विदेशी ओईएम और विदेशी ओईएम

के प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि (एआईआर) पर लागू होता है। कोई भी टेलीग्राफ/दूरसंचार उपकरण, जिसके लिए अनिवार्य प्रमाणन की आवश्यकता होती है, चाहे वह पीएसयू हो या निजी, उसका उपयोग अपने नेटवर्क में दूरसंचार लाइसेंसधारक के रूप में नहीं किया जाना है, जब तक कि इसे प्रमाणित नहीं किया जाता है। तथापि, दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण के लिए सुरक्षा प्रयोगशाला के संबंध में समिति को सूचित किया गया है कि देश में अब तक किसी भी सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला को निर्दिष्ट/प्रत्यायित नहीं किया गया है। कारण पूछे जाने पर विभाग ने केवल यह उत्तर दिया है कि राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केन्द्र देश में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में भावी दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं (टीएसटीएल) के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। कुछ टीएसटीएल को वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान निर्दिष्ट किए जाने की संभावना है। विभाग ने समिति को यह भी सूचित किया है कि दूरसंचार उपकरणों के सुरक्षा परीक्षण के लिए संचार सुरक्षा (कॉमसेक) योजना अभी शुरू की जानी है। समिति को यह भी बताया गया है कि विभाग के दूरसंचार इंजीनियरिंग विंग में एक सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला की योजना बनाई गई है और सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए निविदा 20.12.2021 को खोली गई थी जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि दूरसंचार उपकरणों की आसान उपलब्धता के साथ बढ़ते दूरसंचार बाजार में सुरक्षा के खतरे बड़े पैमाने पर मंडरा रहे हैं, फिर भी विभाग द्वारा दूरसंचार उपकरणों विशेष रूप से सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन संबंधी अनिवार्य परीक्षण के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। समिति यह नोट कर भी उतनी ही चिंतित है कि पिछले प्रतिवेदनों (रिपोर्टों) में इस मुद्दे पर उनके आग्रह के बावजूद देश में अब तक किसी भी सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला को निर्दिष्ट /प्रत्यायित नहीं किया गया है। दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग किए जाने वाले दूरसंचार उपकरण और नेटवर्क स्पाइवेयर/मैलवेयर के प्रति संवेदनशील हैं और सुरक्षा मुद्दों को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में समिति यह जानना चाहेगी कि देश में दूरसंचार उपकरणों की सुरक्षा जांच/प्रमाणन किस प्रकार किया जा रहा है। विभाग समिति को यह भी सूचित करे कि विभाग के दूरसंचार इंजीनियरिंग विंग में सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव कब से लंबित है और अब तक सुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं। समिति सिफारिश करती है कि सुरक्षा जांच प्रयोगशाला की स्थपना की प्रारंभिक रूपरेखा शीघ्र बनाई जाए। समिति यह भी चाहती है कि देश में सुरक्षा जांच प्रयोगशालाओं सहित अत्याधुनिक जांच सुविधाओं की स्थापना के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जाएं। समिति चाहती है कि तैयार की जा रही संचार सुरक्षा (कॉमसेक) योजना का ब्यौरा समिति को प्रस्तुत किया जाए। जब तक संस्थागत व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं, तब तक समिति विभाग को यह सुनिश्चित करने की

सिफारिश करती है कि दूरसंचार उपकरणों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए और सभी सार्वजनिक और निजी दोनों दूरसंचार ऑपरेटर केवल उन उपकरणों को सख्ती से स्थापित करें, जिनका अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन किया गया है।

सरकार का उत्तर

1. दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय ने दिनांक 05 सितंबर, 2017 को जीएसआर 1131 (ई) भाग XI के माध्यम से भारत के राजपत्र में "भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम" अधिसूचित किया है जो दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन निर्धारित करता है। कोई भी टेलीग्राफ जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 (बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस के तहत स्थापित, अनुरक्षित या काम किए गए किसी भी टेलीग्राफ के साथ उपयोग करने या उपयोग किए जाने में सक्षम है, को समय-समय पर टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के संबंध में पूर्व अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन से गुजरना होगा। अनिवार्य परीक्षण में निम्नलिखित आवश्यक अपेक्षाओं के लिए परीक्षण शामिल है:-

i. तकनीकी आवश्यकताएं।
ii. सुरक्षा आवश्यकताएं।
iii. ईएमआई/ईएमसी आवश्यकताएं।
iv. सुरक्षा आवश्यकताएं
v. टीईसी/दूरसंचार विभाग/किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य अपेक्षाएं जैसे मोबाइल हैंडसेटों के लिए एसएआर, पर्यावरणीय अपेक्षाएं आदि।

2 .दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र)टीईसी (सुरक्षा परीक्षण के अलावा अन्य दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण के लिए आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। सुरक्षा परीक्षण भाग को राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केन्द्र)एनसीसीएस(, बेंगलुरु को सौंपा गया है।

3. संचार सुरक्षा (कॉमसेक) स्कीम को अनुमोदित कर दिया गया है और विवरण निम्नानुसार हैं:

i. कार्यक्षेत्र :

क. प्रमाणन का उद्देश्य भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रकार के दूरसंचार उपकरणों को कवर करना है और यह इस योजना के लागू होने के बाद भारतीय दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ा होगा, जिसके लिए आईटीएसएआर उपलब्ध है और लागू है।

ख. एनसीसीएस चरणबद्ध तरीके से विभिन्न उपकरणों के लिए भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन अपेक्षाओं (आईटीएसएआर) के विकास और जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी उपस्कर के लिए आईटीएसएआर जारी करने पर उस उपकरण को प्रवर्तन के लिए इस योजना में शामिल किया जाएगा। उस उपकरण के लिए आईटीएसएआर अलग से अधिसूचित तारीख से लागू होता है। आईटीएसएआर में कोई भी संशोधन करने पर यदि नए खतरे और अपेक्षाएं उत्पन्न होती है तो इस स्थिति में आईटीएसएआर का नया प्रारूप जारी किया जाएगा और यह आईटीएसएआर के नए प्रारूप में निर्दिष्ट लागू करने की तारीख से लागू होगा। नए संस्करण की तुलना में नए प्रारूप में यह निर्दिष्ट होगा कि आईटीएसएआर के पूर्व प्रारूप के लिए प्रमाणित उपकरण को प्रमाणन हेतु पूर्ण या क्रमिक परीक्षण की आवश्यकता है या नहीं।

ग. जब तक विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती तब तक प्रमाणित उपकरणों का उपयोग मौजूदा दिशानिर्देशों और नियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

घ. यदि उपकरण को अनुसंधान और विकास के लिए या भारत में प्रदर्शन उद्देश्य के लिए या अनिवार्य परीक्षण के लिए एक नमूने के रूप में आयात किया जा रहा है, तो इस स्थिति में उपकरणों की सीमित संख्या के लिए पूर्व सुरक्षा प्रमाणन में छूट दी जा सकती है।

ii. स्कीम

क. दूरसंचार विभाग का उद्देश्य कॉमसेक स्कीम के विकास, संचालन और रखरखाव में निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है:

- देश विशिष्ट मानकों, प्रक्रियाओं और विनिर्देशों को विकसित करना।

- परीक्षण और प्रमाणन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि दूरसंचार नेटवर्क तत्व सुरक्षा आश्वासन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।
- सुरक्षा परीक्षण से संबंधित विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

ख. इस स्कीम में भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन अपेक्षाओं (आईटीएसएआर), दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं (टीएसटीएल) के निर्दिष्ट और आईटीएसएआर के लिए दूरसंचार उपस्करों के सुरक्षा मूल्यांकन और प्रमाणन से संबंधित कार्यकलापों का प्रावधान है।

ग. आईटीएसएआर को देश विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और ओईएम, टीएसटीएल, टीएसपी, अकादमिक संस्थानों, उद्योग और सरकारी निकायों जैसे हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर तैयार किया जाएगा।

घ. आईटीएसएआर के लिए सुरक्षा परीक्षण नामित टीएसटीएल द्वारा किया जाएगा। विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को नामित किया जाएगा। संभावित टीएसटीएल निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के संतोषजनक मूल्यांकन के बाद आईटीएसएआर के अनुसार सुरक्षा परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला की योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। सफल मूल्यांकन पर प्रयोजन प्रमाण-पत्र के साथ टीएसटीएल द्वारा जारी किया जाएगा।

ङ. अपने उपकरण प्रमाणित करने के इच्छुक आवेदक को एमटीसीटीई पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आवेदन के सफल मूल्यांकन के बाद आवेदक लागू आईटीएसएआर के सापेक्ष अपने उपकरणों के सुरक्षा परीक्षण के लिए एक नामित टीएसटीएल चुन सकता है। टीएसटीएल एक वैलिडेटर की देखरेख में अपेक्षित परीक्षण करेगा। परीक्षण के पूरा होने के बाद टीएसटीएल द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इन रिपोर्टों का मूल्यांकन सुरक्षा प्रमाणन के लिए किया जाएगा। सफल मूल्यांकन पर सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

4. भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताओं (आईटीएसएआर) की तैयारी के संबंध में आईटीएसएआर को 4जी कोर नेटवर्क तत्वों (यानी एस-गेटवे, पीसीआरएफ, एचएसएस, एमएमई,

ई-नोड-बी, पी-गेटवे), आईपी राउटर, वाईफाई (सीपीई) मॉडेम, मोबाइल डिवाइस, प्लगेबल यूआईसीसी और आईटीएसएआर के लिए क्रिप्टोग्राफिक नियंत्रण) के लिए तैयार किया गया है। एनसीसीएस ने 5जी कोर नेटवर्क एलिमेंट्स/नेटवर्क फंक्शंस के लिए आईटीएसएआर तैयार करने में आईआईटी-एच के साथ साझेदारी की है। एनसीसीएस 11 नेटवर्क फंक्शंस (एनएफ) अर्थात् एएमएफ, यूपीएफ, एसएमएफ, यूडीएम, एयूएसएफ, एनआरएफ, एनईएफ, एनडब्ल्यूडीएएफ, एन3आईडब्ल्यूएफ, एसईपीपी और एससीपी के लिए 5जी आईटीएसएआर तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसकी आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

5. एनसीसीएस ने दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन में सहयोग करने के लिए आईआईटी-एम और आईआईटी-कानपुर के साथ बातचीत शुरू की है क्योंकि उन्होंने एनसीसीएस के साथ काम करने में रुचि दिखाई है। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने मोबाइल डिवाइस और हार्डवेयर सुरक्षा पर अनुसंधान और परीक्षण वातावरण स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसकी जांच की जा रही है।

6. एनसीसीएस ने इस स्कीम के बारे में सूचित करने के लिए संभावित दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं (टीएसटीएल) के साथ ओपन हाउस सत्र आयोजित किया है। सी-डॉट द्वारा एनसीसीएस के सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन पोर्टल के विकास और टीईसी के एमटीसीटीई पोर्टल के साथ इसके एकीकरण का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है। एक बार दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन पारिस्थितिकी तंत्र (जिसमें आईटीएसएआर की उपलब्धता और तदनुरूपी परीक्षण अनुसूचियां और परीक्षण प्रक्रियाएं (टीएसटीपी), दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन पोर्टल, टीएसटीएल के लिए प्रत्यायन/प्रयोजन प्रक्रिया और मान्यता प्राप्त/नामित टीएसटीएल की उपलब्धता शामिल है) तैयार हो जाता है, तो कॉमसेक स्कीम के शुरू होने से एमटीसीटीई के तहत दूरसंचार उपकरणों (5जी सहित) का सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन कार्य चरणबद्ध तरीके से करने की सक्षमता प्राप्त हो जाएगी।

7. सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (एनएसडीटीएस) के तहत 15 जून 2021 को विश्वसनीय दूरसंचार पोर्टल www.trustedtelecom.gov.in शुरू किया इसलिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को अपने नेटवर्क में केवल उन नए उपकरणों को जोड़ने के लिए अनिवार्य किया गया है जिन्हें 'विश्वसनीय स्रोतों' से 'विश्वसनीय उत्पाद' के रूप में नामित किया गया है। इस संबंध में सरकार द्वारा टीएसपी के माध्यम से दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस शर्तों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

8. इसके अलावा नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लाइसेंस संबंधी अधिदेश के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण खंड।

i. खंड 39.5 के तहत, जैसा कि निम्न में है, सेवा प्रदाताओं के पास एक सुदृढ़ संगठनात्मक सुरक्षा नीति होनी चाहिए।

"लाइसेंसधारक पूरी तरह से अपने नेटवर्क की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। लाइसेंसधारक के पास सुरक्षा और नेटवर्क फोरेंसिक, नेटवर्क हार्डनिंग, नेटवर्क पेनिट्रेशन परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन सहित उनके नेटवर्क के प्रबंधन हेतु एक संगठनात्मक नीति होगी। समस्याओं का समाधान करने और ऐसी समस्याओं के बार-बार घटित होने से उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई को नीति का हिस्सा होना चाहिए।

ii. लाइसेंसधारक की सुरक्षा नीति में एकरूपता बनाए रखने के लिए दूरसंचार विभाग ने न्यूनतम अपेक्षाओं पर दूरसंचार विभाग के लाइसेंसधारियों द्वारा सुरक्षा नीति (एमआरएसपी) के लिए दिनांक 26.9.2018 के पत्र के माध्यम से एक परामर्श जारी किया है।

iii. खंड 39.6 के तहत जैसा कि निम्न में है सेवा प्रदाताओं को एक वित्तीय वर्ष में एक बार आईएसओ 15408 और आईएसओ 27001 मानकों के अनुसार प्रमाणित लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) द्वारा अपने नेटवर्क की लेखापरीक्षा (ऑडिट) करना अनिवार्य है।

"संगठनात्मक सुरक्षा नीति को आगे बढ़ाने में लाइसेंसधारक अपने नेटवर्क की लेखापरीक्षा (ऑडिट) करेगा या सुरक्षा के दृष्टिकोण से नेटवर्क ऑडिट और प्रमाणन एजेंसी से वित्तीय में एक बार नेटवर्क की लेखापरीक्षा कराएगा। पहला ऑडिट लाइसेंस / सेवा प्राधिकरण पर हस्ताक्षर करने के वित्तीय वर्ष के बाद अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है। लाइसेंसधारक इस उद्देश्य के लिए किसी भी एजेंसी की सेवा लेने के लिए स्वतंत्र है, जिसे संबंधित आईएसओ मानकों के अनुसार ऑडिट करने के लिए प्रमाणित किया गया है। वर्तमान में आईएसओ 15408 और आईएसओ 27001 मानक लागू हैं।

iv. खंड 39.9 (v) के तहत जैसा कि निम्न में है, सेवा प्रदाताओं द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की श्रृंखला का रिकॉर्ड रखने से आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम को कम किया जा सकता है। इस

संबंध में सेवा प्रदाताओं को जागरूक किया जाता है।

"उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला (हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर) का रिकॉर्ड रखें। यह रिकॉर्ड उत्पादों की खरीद के समय निर्माता / विक्रेता / आपूर्तिकर्ता से लिया जाना चाहिए।

V. सेवा प्रदाताओं को विभिन्न एजेंसियों के परामर्शों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कमजोरियों और खतरों के बारे में भी सूचित किया जाता है।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय 1 का पैरा संख्या 11 देखिए)

<u>बीएसएनएल औरएमटीएनएल की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 10)

समिति को सूचित किया गया है कि बीएसएनएल के पास बड़ी संख्या में भूमि परिसंपत्तियों सहित भवन भी हैं। एमटीएनएल के पास करीब 30,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति है। केंद्रीय कैबिनेट नोट में ऋण/ओवरड्राफ्ट/बांड के पुनर्भुगतान के लिए मुख्य योजना के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण की परिकल्पना की गई है।संहिताबद्ध प्रक्रिया के संबंध में, समिति ने नोट किया है कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परिसंपत्ति के लिए अनुमोदन डीआईपीएएम, वित्त मंत्रालय के पास है। 10-100 करोड़ रुपये के मध्य की परिसंपत्तियां बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार विभाग के माध्यम से की जाएंगी और मंत्रियों के समूह द्वारा अनुमोदित की जाएंगी। 10 करोड़ रुपये से कम की परिसंपत्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी बीएसएनएल निदेशक मंडल है। विभाग ने समिति को सूचित किया है कि भूमि/भवन के मुद्रीकरण के लिए डीआईपीएएम ने चरण-I में बीएसएनएल की परिसंपत्तियों (संभावित मूल्य 18,200 करोड़ रुपये) और एमटीएनएल की 6 परिसंपत्तियों (संभावित मूल्य 5158 करोड़ रुपये) के मुद्रीकरण को मंजूरी दी थी, जिसमें से

बीएसएनएल की 4 संपत्तियों (670 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य) और एमटीएनएल की 2 संपत्तियों (290 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य) को ई-नीलामी के लिए लिया गया है।समिति को यह भी सूचित किया गया है कि काफी समय पहले किए गए सशर्त कार्यों और राज्य सरकारों अथवा स्थानीय निकायों से अपेक्षित अनुमतियों के कारण अन्य संपत्तियों में चुनौतियां/बाधाएं हैं, जिनका विभाग द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ-साथ अवलोकन किया जा रहा है। एमटीएनएल के संबंध में, समिति ने नोट किया है कि मुंबई में अधिकांश परिसंपत्तियों में आरक्षण/मनोयन के मुद्दे हैं और इससे इन संपत्तियों के मुद्रीकरण की संभावना बाधित हो रही है। एमटीएनएल आरक्षण/ मनोयन को हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ कार्रवाई कर रहा है। समिति को बैठक के दौरान स्पष्ट शब्दों में यह भी सूचित किया गया है कि मुंबई में महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को लेकर आपत्ति और चिन्हित किए जाने के मुद्दे हैं जिसके परिणामस्वरूप अस्थिर परिस्थितियों के कारण संपत्ति का मूल्यांकन कम हो रहा है और यह नीति में बदलाव किए बिना संभव नहीं होगा।

समिति का मत है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास बहुत ज्यादा संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों का लाभपूर्ण उपयोग तथा संपत्तियों के मुद्रीकरण से सृजित आय को वस्तुत उनके कर्ज, कैपेक्स और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। समिति का मानना है कि संपत्तियों के सफल मुद्रीकरण से सरकार के राजस्व या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उपयोग के बिना दोनों कंपनियों के पुनर्जीवन प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। समिति नोट करती है कि विभाग/बीएसएनएल ने संपत्तियों के सौहार्दपूर्ण समाधान और सफल मुद्रीकरण के लिए संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ आपत्तियों और सुझावों के मुद्दे पर चर्चा की है। तथापि अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। समिति का सुविचारित मत है कि ये संपत्तियां जो अप्रयुक्त पड़ी है, का सफल उपयोग बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के लिए तथा संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों के बेहतर हित में होगा और इसलिए इस मामले को केवल विभाग/बीएसएनएल पर छोड़ने के बजाय नीतिगत हस्तक्षेप के लिए सरकार के उच्चतम स्तर पर उठाया जाए।

सरकार का उत्तर

“उपर्युक्त सिफारिशों/टिप्पणियों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कदम उठाए गए हैं/कार्रवाई की गई है:

(i)बीएसएनएल की 4 संपत्तियों के लिए नीलामी में कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई थी। बीएसएनएल द्वारा नीलामी के नियमों और शर्तों की समीक्षा करने और फिर से बोली लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।

(ii)10 करोड़ रूपए से कम मूल्य की प्रत्येक संपत्ति के लिए बीएसएनएल के निदेशक मंडल ने 9 संपत्तियों के लिए सांकेतिक मूल्य को अनुमोदन प्रदान किया है। सभी संपत्तियों के लिए लेनदेन से संबंधित सलाहकारों को भी नियुक्त किया गया है। इन 9 संपत्तियों का कुल सांकेतिक मूल्य 49.73 करोड़ रूपए है।

(iii) 10-100 करोड़ रूपए के मध्य के मूल्य की संपत्तियों के लिए बीएसएनएल के निदेशक मंडल ने 14 संपत्तियों के लिए सांकेतिक मूल्य को अनुमोदन प्रदान किया है और यह मामला मंत्री समूह के सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रक्रिया में है। इन 14 संपत्तियों का कुल सांकेतिक मूल्य 599.78 करोड़ रूपए है।

(iv) इस कार्यालय के दिनांक 31.03.2022 के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 8-1/202- परिसंपत्ति प्रबंधन (वॉल्यूम.II) के माध्यम से सचिव, डीआईपीएएम से ई-नीलामी के संबंध में निर्णय लेने के लिए आईएमजी की बैठक आयोजित करने और मुद्रीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया था। डीआईपीएएम ने सूचित किया है कि मुद्रीकरण की जिम्मेदारी दिनांक 13.04.2022 के उनके अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 8/8/2022-डीआईपीएएम-II (एएमसी) के माध्यम से डीपीई को अंतरित कर दी गई है। डीआईपीएएम से प्राप्त अर्ध-शासकीय पत्र के उत्तर में डीपीई से इस कार्यालय के दिनांक 25.04.2022 के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 8-1/20202-परिसंपत्ति प्रबंधन (वॉल्यूम.II) और दिनांक 02.06.2022 के यू.ओ.सं. 8-5/2019- परिसंपत्ति प्रबंधन के माध्यम से आईएमजी की बैठक शीघ्रतिशीघ्र आयोजित करनेका अनुरोध किया गया था।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय -1 का पैरा संख्या 14 देखिए)

<u>बीएसएनएल के लिए पूंजी निवेश</u>

<u>(सिफारिश क्रम संख्या 12)</u>

समिति नोट करती है कि विभिन्न पुनर्जीवन उपाय के क्रियान्वयन के लिए 2022-23 के दौरान बजट अनुमान 2022-23 में 44720 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। समिति को सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4जी स्पेक्ट्रम की लागत के लिए 23270 करोड रुपए (जीएसटी सहित) आवंटित की गई है। विभाग ने समिति को बताया है कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल के तर्ज पर बीएसएनएल ने 1 जनवरी 2021 को अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति पांच बोलीदाताओं नामत: मेसर्स एचएफसीएल, मेसर्स टेक महिंद्रा, मेसर्स टीसीएस और मेसर्स आईटीआई को जारी किया गया है। केवल मेसर्स टीसीएस और मेसर्स आईटीआई ने अभिरुचि की अभिव्यक्ति के भाग के रूप में प्रूफ ऑफ कंसेप्ट (पीओसी) के तहत परीक्षण हेतु अपने उपकरण विकसित किए हैं। समिति को बताया गया है कि दिए गए उपकरण का परीक्षण किया जा रहा है और मार्च तक पीयूसी पूरा होगा। इसके बाद इसका व्यवसायिक आरंभ लगभग 6 माह से 1 वर्ष में होने का अनुमान है। समिति को यदि बताया गया है कि पुनर्जीवन पैकेज अनुमोदित करते समय सरकार ने 5जी संबंधित निवेश के लिए प्रोत्साहन भी दिया है और 4जी उपकरण, जो अंतिम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के अंतिम चरण में है, 5जी सक्षम भी है।

समिति का विचार है कि बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवाओं के आरंभ से बीएसएनएल को न केवल देश में दूरसंचार क्षेत्र में अपना पैर जमाने में मजबूती और साथ ही इसके राजस्व में भी वृद्धि में बहुत सहायक होगा। यह देखना दुख की बात है कि बीएसएनएल पहले ही 4जी सेवा शुरू करने में असफल रही है और एक अच्छी बेतार ब्रॉडबैंड सेवाएं देने और इसके राजस्व वृद्धि की क्षमता प्रभावित हुई है। समिति को भी टिप्पणी करना पड़ रहा है कि बीएसएनएल को निजी या विदेशी कंपनियों से उपकरण लेने की अनुमति नहीं दी गई जबकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसा करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार, निजी प्रचालकों की तुलना में बीएसएनएल को समान अवसर नहीं दिया गया। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को नियत समय सीमा अर्थात मार्च, 2022 तक पूरा किया जाना चाहिए और

समिति को सूचित किए गए अनुसार बीएसएनएल द्वारा लगभग 6 माह से 1 वर्ष में 4जी सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए विभाग को सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसमें किसी भी तरह की देरी से कंपनी के अस्तित्व और उद्योग में फलने-फूलने के संघर्ष की संभावनाओं को और नुकसान होगा। समिति पूजा भी सिफारिश करती है कि बीएसएनएल को सभी बैंडों में 5जी स्पेक्ट्रम भी आवंटित की जानी चाहिए ताकि बीएसएनल निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ 5जी सेवाएं शुरू कर सके। यह आवश्यक है कि बीएसएनएल को 5जी सेवाएं शुरू करने और निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तरह उपकरण खरीदने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। समिति चाहती है कि इस संबंध में इमानदारी पूर्वक प्रयास किए जाए और आशा करती है कि साक्ष्य के दौरान समिति को दिए गए आश्वासन अक्षरश: पूर्ण करेंगी।

<u>सरकार का उत्तर</u>

(क) अक्तूबर, 2019 के पुररूद्धार पैकेज में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आबंटन का अनुमोदन किया था। इस मद को सरकार के लिए नकद तटस्थ रखने के लिए मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम आबंटन हेतु 24,084 करोड़ (जीएसटी सहित) के पूंजी निवेश को भी अनुमोदित किया था। चूंकि बीएसएनएल इस पूंजी निवेश का उपयोग केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करने के लिए करेगा, अत: इसे नकद तटस्थ व्यवस्था के रूप में डिजाइन किया गया था। तथापि, आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक को विकसित करने में विलंब होने के कारण स्पेक्ट्रम आबंटन को वित्त वर्ष 2023 तक आस्थगित कर दिया गया था।

(ख) चूंकि केंद्र सरकार बीएसएनएल को समर्थन दे रही है अत: यह आवश्यक था कि बीएसएनएल प्राप्त की गई निधि का प्रयोग 4जी सेवाओं हेतु आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी स्टैक के विकास के लिए करे। इस विजन के अनुरूप बीएसएनएल को 4जी हेतु इंडियन कोर स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार बीएसएनएल ने आगामी 4जी निविदा में भाग लेने की इच्छुक भारतीय कंपनियों से पंजीकरण-सह अवधारणा साक्ष्य (पीओसी) के लिए 1 जनवरी, 2021 को रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की। इस पर 6 बोलीदाताओं ने प्रतिक्रिया दी।

बीएसएनएल ने 1 जुलाई, 2021 को मेसर्स टीसीएस (टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज), मेसर्स टेक महिन्द्रा लि., मेसर्स एल एंड टी (लार्सन एंड टर्बो), मेसर्स एचएफसीएल (हिमाचल फ्यूचरस्टिक कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड) तथा मेसर्स आई टी आई (इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज) को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया है। फिलहाल बीएसएनएल टीसीएस (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेली मैटिक्स; सी-डॉट से कोर के साथ) और आईटीआई (बैकएंड पर टीसीएस के साथ) अवधारणा साक्ष्य (पीओसी) को कार्यान्वित कर रहा है। पीओसी को मेसर्स टीसीएस द्वारा कुछ लंबित बिंदुओं के साथ अनंतिम रूप से पूरा किया गया है जिसके 30 जून, 2022 तक पूरा होने की संभावना है। अन्य तीन वेंडरों के पीओसी को बंद कर दिया गया है क्योंकि वे प्रौद्योगिकी विकसीत नहीं कर सके।

चूंकि आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक को विकसित करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता थी अत: बीएसएनएल प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2023 तक स्पेक्ट्रम आबंटन को आस्थगित करने का निर्णय लिया है। अब पीओसी के अनंतिम रूप से पूरा होने के बाद बीएसएनएल ने 6000 साइटों की स्थापना के लिए उपकरणों की आपूर्ति हेतु 31 मार्च, 2022 को मेसर्स टीसीएस पर 4जी नेटवर्क के लिए अपना प्रथम क्रय आदेश दिया है जिसके साथ बीएसएनएल को वर्ष 2022 में 4जी सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है। एकल वेंडर परिदृश्य और पीओसी के लंबित मामलों के पूरा करने के मद्देनजर मेसर्स टीसीएस के साथ वाणिज्यिक बातचीत होने बाद 100,000 ईएनओडीईबी के लिए आदेश दिया जाएगा।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त प्रगति से विदित है बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम का आबंटन वित्त वर्ष 2022-23 में हो सकता है।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय -1 का पैरा संख्या 8 देखिए)

अध्याय V

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है

<u>महत्वाकांक्षी जिला योजना</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 5)

समिति नोट करती है कि चार राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में 502 कवर न किए गए गांव के लिए योजना को मार्च, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। समिति को आशा है कि परियोजना निर्धारित समय में पूरा हो जाएगी। समिति यह भी नोट करती है कि 7287 कवर न किए गए गांव के लिए योजना को कैबिनेट द्वारा 17 नवंबर, 2021 को मंजूरी दी गई जो 6566 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 महत्वाकांक्षी जिलों में 4जी आधारित मोबाईल सेवाओं का प्रावधान करने के लिए थी। समिति को बताया गया है कि प्रस्ताव हेतु अनुरोध 24.02.2022 को खोला गया तथा 2 बोली प्राप्त हुई है और उसका मूल्यांकन हो रहा है। यह परियोजना समझौते पर संभवत: अप्रैल, 2022 तक हस्ताक्षर होने के बाद 18 महीने में पूरी होने का लक्ष्य है। समिति यह भी नोट करती है कि देश में सभी कवर न किए गए गांवों के लिए एक योजना तैयार की जा रही है तथा अन्य राज्यों के महत्वाकांक्षी जिलों में कवर न किए गए लंबित गांवों को ही कवर किया जाएगा।

समिति का मत है कि विभाग देश के सभी महत्वाकांक्षी जिलों के सभी कवर नहीं किए गए गांवों को मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें कवर करने के लक्ष्य से बहुत दूर है। यह महत्वपूर्ण है कि विभाग अत्यावश्यकता की भावना से कार्य करे और कार्य को निर्धारित समय में पूरा करे। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने के प्रयास किए जाएं और योजना के अनुसार अर्थात् नवंबर, 2023 तक 18 महीनों में 7287 कवर न किए गए गांवों को कवर करने का कार्य पूरा किया जाए। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती

है कि योजना जो सभी कवर न किए गए गांवों और केरल में वायनाड सहित अन्य राज्यों के महत्वाकांक्षी जिलों में कवर न किए गए लंबित गांवों के लिए तैयार की जा रही है उसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए तथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाए ताकि देश के सभी कवर न किए गए गांवों को समयबद्ध तरीके से अत्यावश्यक दूर संचार संपर्क प्रदान किया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

4 राज्यों में 502 वंचित (अनकवर्ड) गांवों के लिए स्कीम जिसके लिए विस्तार अवधि प्रदान की गई है, के जून, 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अलावा, पांच राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार 7287 गांवों के लिए स्कीम को अंतिम रूप दिया गया है और संबद्ध करार पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। देश में शेष बचे अनकबर्ड गांवों संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

(संचार मंत्रालय /दूरसंचार विभाग का. ज्ञा . संख्या 16-3/2022 -बी (32वां प्रतिवेदन) दिनांक 20/06/2022)

प्रतापराव जाधव

नई दिल्ली: **सभापति**

_____________<u>फ़रवरी, 2023</u> **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति।**

______________माघ, 1944 (शक)

अनुबंध-II

बत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(सत्रहवीं लोक सभा)

[देखिए प्राक्कथन का पैरा संख्या 5]

		कुल	प्रतिशत
(i).	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है सिफारिश पैरा संख्या. 1,2,4,,6,7, 9,10,11,13 और 14	09	64.28
(ii).	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती -शून्य	00	00
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता हैः सि.क्र.सं.3,8,10 और 12	04	28.57
(iv).	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है- सिफारिश पैरा सं.5	01	7.14